

परिशिष्ट सूची

क्र. सं.	परिशिष्ट सं.	परिशिष्ट का विषय	पृष्ठ सं.
1.	II-क	2009-10 में लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के ब्यौरे	149
2.	II-ख	विभागीयरूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम	150
3.	II-ग	2009-10 के दौरान बट्टे खाते में डाली/अस्थगित हानियों तथा अवसूलनीय देयों का विवरण	157
4.	II-घ	विदेश में खरीदों हेतु उचंत लेखे की बकाया राशि (2001 से)	158
5.	II-ड	ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष	159
6.	II-च	नि. स. ले.प.; स्वा.प.क.मं.; वि.का.वि.; के.प्र.क.बो. एवं वि.मं. के चयनित प्र.ले.का. की लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए प्रतिकूल शेष	162
7.	V-क	संघ सरकार की कुल देयता	164
8.	V-ख	अप्रयुक्त बाह्य सहायता-क्षेत्र-वार	165
9.	VI-क	अनुमोदन तथा संवितरण	166
10.	VI-ख	अनुदानों/विनियोगों में निवल बचतें	168
11.	VI-ग	सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत प्रभारित तथा दत्तमत संवितरणों का समानुपात	169
12.	VII-क	निधि के उपयुक्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण (₹ दो करोड़ और उससे अधिक)	170
13.	VII-ख	विभिन्न अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ अथवा उससे अधिक बचतों को दर्शाती विवरणी	177
14.	VII-ग	विभिन्न अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों की विवरणी	180
15.	VII-घ	उन मामलों के उदाहरण जिनमें बचत से अधिक की राशियाँ अभ्यर्पित की गई थीं	183
16.	VII-ड	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ बचतों के मुख्य भाग 31 मार्च 2010 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे	184
17.	VII-च	मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि अनुपयोगिता के कारण अविवेकपूर्ण थे (₹ एक करोड़ तथा अधिक की राशि के पुनर्विनियोग)	187
18.	VII-छ	मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जोकि उप-शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण अविवेकपूर्ण थे	191

क्र. सं.	परिशिष्ट सं.	परिशिष्ट का विषय	पृष्ठ सं.
		(केवल एक करोड़ रु से अधिक की राशि के पुनर्विनियोग के मामलों का उल्लेख किया गया है)	
19.	VII-ज	मूल तथा अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों की स्थिति	192
20.	VII-झ	लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों को दर्शाती हुई विवरणी	193
21.	VII-ञ	अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण (₹ दस करोड़ और अधिक की बचत और जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनाता है)	195
22.	VII-ट	₹ दस करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले जहाँ समग्र प्रावधान अव्ययित रहा, को दर्शाती विवरणा	202
23.	VII-ठ	उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण (बजट प्रावधान की ₹100 करोड़ और अधिक की बचतें)	206
24.	VIII-क	कृषि एवं सहकारिता विभाग में अवास्तविक बजटीकरण	213
25.	VIII -ख	कृषि एवं सहकारिता विभाग में उप-शीर्ष में ₹100 करोड़ या अधिक की बचत	214
26.	VIII -ग	भू-विज्ञान मंत्रालय में निरन्तर बचतें	216
27.	VIII -घ	भू-विज्ञान मंत्रालय में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	218
28.	VIII -ङ	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में निरन्तर बचतें	219
29.	VIII -च	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में अवास्तविक बजट अनुमान	220
30.	VIII -छ	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में समग्र प्रावधान का उपयोग न किया जाना	222
31.	VIII -ज	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	224
32.	VIII -झ	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	225

परिशिष्ट II -क
(पैराग्राफ 2.3 के संदर्भ में)
2009-10 में लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत राजस्व
तथा पूंजीगत व्यय के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	लघुशीर्ष - 800- अन्य व्यय के अन्तर्गत व्यय	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	"कुल व्यय" की तुलना में "अन्य व्यय" की प्रतिशतता
1.	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	901.09	1286.07	70
2.	2217- शहरी विकास	659.93	1116.51	59
3.	2225- अ.जा., अ.ज. तथा अ.पि.व. का कल्याण	299.49	528.47	57
4.	2250- अन्य सामाजिक सेवाएं	33.31	33.86	98
5.	2416- कृषि वित्तीय संस्थान	2831.00	2350.64	120
6.	2711- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी	150.35	151.37	99
7.	2801- विद्युत	5189.53	7774.11	67
8.	2885- उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य परिव्यय	300.08	301.68	99
9.	3053- नागरिक उड्डयन	1080.95	1126.70	96
10.	3275-अन्य संचार सेवाएं	2891.36	5315.01	54
11.	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	211.24	401.06	53
12.	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	62.30	65.58	95
13.	4211- परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1.59	1.59	100
14.	4402- मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	17.19	18.44	93
15.	4403- पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	7.06	9.73	73
16.	4405- मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	14.22	21.54	66
17.	4407- वृक्षारोपण पर पूंजीगत परिव्यय	15.00	15.00	100
18.	4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3.44	5.59	61
19.	4859- दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	9.73	11.73	83
20.	5275- अन्य संचारी सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	268.75	273.61	98
21.	5403- समुद्रविज्ञान अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	25.60	26.53	96
22.	5453- विदेश व्यापार पर पूंजीगत परिव्यय	595.50	551.50	108
23.	5455- अन्तरिक्ष विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय	147.62	171.40	86
24.	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	183.40	206.10	89
योग		15899.73	21763.82	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट II-ख
(पैराग्राफ 2.10 के संदर्भ में)
विभागीयरूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूंजी	ब्लॉक परिसम्पत्ति II (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूंजी की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
कृषि मंत्रालय										
1.	दिल्ली दुग्ध योजना	2009-10	3968.33	23375.79	2790.61	(-) 3808.41	194.65	(-) 3613.76	उ.न.	उ.न.
2.	आइसक्रीम फ्रीजिंग संयंत्र, कोच्ची	2008-09	382.15	1656.28	73.42	(-)101.34	59.23	111.78	शून्य	
परमाणु ऊर्जा विभाग										
3.	नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद	2008-09	55183.87	32317.60	23066.73	(-)6330.35	4776.15	(-)1554.20	(-)2.91	प्रावधानिक
4.	भारी जल संयंत्र, मुम्बई	2004-05								प्रोफार्मा लेखे का प्रतिरूप अभी भी स्वीकृत किया जाना है
रक्षा मंत्रालय										
5.	कैन्टीन भण्डारण विभाग	2007-08	48.00	2942.68	3500.69	8080.89	8807.21	16888.1	17.3	97608.94*
वित्त मंत्रालय										
6.	सरकारी ऐल्केलॉइड कार्य, नीमच्च	2008-09	656.74	421.45	235.29	(+)759.40	652.44	1411.84	18.14	7784.65*
7.	सरकारी ऐल्केलॉइड कार्य, गाजीपुर	2009-10	654.08	297.61	358.60	38.65	121.87	160.52	11.09	1447.43*

* औसत पूंजी

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट II-ख
(पैराग्राफ 2.10 के संदर्भ में)
विभागीयरूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूंजी	ब्लॉक परिसम्पत्ति II (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूंजी की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
8.	सरकारी अफीम कारखाना, गाजीपुर	2009-10	444.26	435.75	316.00	(-)306.97	240.47	(-)66.5	(-) 2.33	2855.89*
9.	सरकारी अफीम कारखाना, नीमच	2008-09	1665.32	978.27	680.76	(+)2088.52	00.00	2088.52	173.35	1204.7*
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय										
10.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसोली	2004-05	906.87	251.03	99.81	124.24	137.04	549.86	38.44	
11.	सरकारी औषधि भण्डार डिपो, कोलकाता	2007-08	1972.85	48.87	35.79	(-) 40.99	67.18	26.19	2.75	952.84*
12.	सरकारी औषधि भण्डार डिपो, हैदराबाद	2008-09	3403.52	87.64	6.18	(-)94.57	ब्याज की गणना नहीं की गई है	4087.59	120.09	
13.	सरकारी औषधि भण्डार डिपो, करनाल	2007-08	89.42	17.22	1.33	(-) 66.87	-	322.63	-	
14.	सरकारी औषधि भण्डार डिपो, नई दिल्ली	2008-09	29.86	21.19	133.74	(+)527.97		(+)527.97	1768.31	

* औसत पूंजी

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट II-ख
(पैराग्राफ 2.10 के संदर्भ में)
विभागीयरूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूंजी	ब्लॉक परिसम्पत्ति II (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूंजी की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
15.	केन्द्रीय मनोरोग संस्थान का वनस्पति उद्यान, कांके, रांची	2009-10	0.31	0.26	-	0.64	0.12	0.81	75.61	
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय										
16.	फिल्म प्रभाग	2001-02	3830.07	3821.30	2090.65	(-) 1718.34	455.54	-	-	
नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय										
17.	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, लिमिटेड	2009-10	53960	4312.32	1515.04	7268.77 (कर उपरान्त लाभ)	1454.00	1454.00 (लाभांश)	2.74	52980*
विद्युत मंत्रालय										
18.	बदरपुर थर्मल स्टेशन, नई दिल्ली	2005-06	42673.00	10445.00	35625.00	3100.00	863.00	3963.00	9.29	बी.टी.पी.एस. का 30 जून 2006 से एन.टी.पी.सी. के साथ विलय कर दिया गया है
19.	विद्युत विभाग, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2001-02	17926.41	15464.33	2015.55	(-)55167.01	1718.91	(-) 694.07	(-) 61.40	-
20.	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप	2008-09	11599.68	9307.29	2292.38	(-)4670.00	941.29	614.82		

* औसत पूंजी

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट II-ख
(पैराग्राफ 2.10 के संदर्भ में)
विभागीयरूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूंजी	ब्लॉक परिसम्पत्ति II (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूंजी की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय										
21.	प्रकाशस्तंभ एवं दीप-नौका महानिदेशालय, नोएडा	2008-09	21308	21308	9840	4105	527	4632	43.48	
22.	चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम	2005-06	9514.45	3776.96	1094.11	(-) 1337.35	400.41	(-) 936.94	(-) 10.06	
23.	राज्य परिवहन सेवा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2008-09	3438.25	1209.27	1848.35	(-)9917.87	3426.79	(-)2491.08	(-)6.11	
24.	अण्डमान नौका सेवा	2002-03	26092.38	3373.67	5486.23	(-) 32.74	(-) 2553.32	(-) 2586.06	(-) 9.91	-
25.	गोवा पोत कारखाना लिमिटेड	2005-06	1487.00	8927.00	4381.00	2822.00	-	327.00	22.00	
26.	नौसैनिक विभाग (गोदी) अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2003-04	2884.55	205.10	61.60	(-) 4166.22	(-) 289.41	(-) 4455.63	(-)154.47	
27.	जहाजरानी सेवाएं, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2003-04	28873.79	10613.10	1695.94	(-) 32275.33	21953.38	(-) 10321.95	(-) 35.75	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट II-ख
(पैराग्राफ 2.10 के संदर्भ में)
विभागीयरूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूंजी	ब्लॉक परिसम्पत्ति II (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूंजी की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
शहरी विकास मंत्रालय										
28.	प्रकाशन विभाग	2000-01 से आगे	-	-	-	-	-	-	-	प्रोफार्मा लेखों की बजाए, प्रकाशन विभाग ने भण्डार लेखे तैयार किए जिनकी 1999-2000 तक लेखापरीक्षा की गई है। मंत्रालय ने नवम्बर 2001 में लेखांकन प्रणाली को लेखे के वाणिज्यिक प्राप्ति में बदलने का निश्चय किया। विभाग ने अभी तक नहीं बदला है।
29.	भारत सरकार प्रैस, रिंग रोड नई दिल्ली	2008-09	388	उ.न.	18	0	19	उ.न.	उ.न.	
30.	भारत सरकार प्रैस, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली	2007-08	58.24	-	2.72		2.84			
31.	भारत सरकार प्रैस, निलोखेरी	2008-09	134	1170	0	0	0	0	0	
32.	भारत सरकार प्रैस, फरीदाबाद	2008-09	873	259	33	0	30	926	106	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट II-ख
(पैराग्राफ 2.10 के संदर्भ में)
विभागीयरूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूंजी	ब्लॉक परिसम्पत्ति II (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूंजी की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
33.	भारत सरकार प्रैस, शिमला	2008-09	29	12	1	0	0	1	3.9	
34.	भारत सरकार प्रैस, कोयम्बतूर	2008-09	0	0	130	0	0	0	0	
35.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक प्रैस, भुवनेश्वर	2008-09	249	39	1	0	0	281	112	
36.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक प्रैस, मैसूर	2008-09	0	57	0	0	0	80	0	
37.	भारत सरकार प्रैस, कोलकाता	2007-08	79	18	5	-	3	4	0.05	
38.	भारत सरकार प्रैस, कोराट्टी	2007-08	222	131	11	-	40	1588	363	
39.	भारत सरकार प्रैस, नासिक	2007-08	868	534	280	-	43	1235	-	
40.	भारत सरकार प्रैस, अलीगढ़	2007-08	314	162	163	-	15	928	-	
41.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक प्रैस, चण्डीगढ़	2007-08	6865	182	92	-	12	547	100	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट II-ख
(पैराग्राफ 2.10 के संदर्भ में)
विभागीयरूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूंजी	ब्लॉक परिसम्पत्ति II (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूंजी की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
42.	भारत सरकार प्रैस, गैंगटोक	2007-08	4	7	-	-	-	4	5	
43.	भारत सरकार प्रैस, सतरागाची	2006-07	52	0	6	0	2	24	5	

परिशिष्ट II-ग
(पैराग्राफ 2.11 के संदर्भ में)

2009-10 के दौरान बट्टे खाते में डाली/अस्थगित हानियों तथा अवसूलनीय देयों का विवरण

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	निम्न के कारण हानियों तथा अवसूलनीय देयों को बट्टे खाते में डालना									
	प्रणाली की विफलता		उपेक्षा/धोखाधड़ी आदि		अन्य कारण		वसूली का अधित्याग		सानुग्रह भुगतान	
	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
कृषि (आई.सी.ए.आर.)					17	5.02				
परमाणु ऊर्जा					16	52.27				
वाणिज्य					1	105.00				
चुनाव आयोग					1	0.02				
खनन					1	0.03				
शहरी विकास									41	78.99
ग्रामीण विकास					5	0.05				
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस					1	0.41				
श्रम एवं रोजगार, डी.जी.इ.एस.टी.					1	0.29				
राज्य सभा					2	0.23				
के.उ.सी.शु.बो.					21	10.67	3	0.10		
सूचना प्रौद्योगिकी					3	2.87				
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन									2	3.00
अंतरिक्ष					2	2.97				
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी					12	1.68				
रक्षा (बी.आर.ओ. एवं सी.एस.डी.)	8	7.33	16	8.24	66	181.34				
डाक एवं दूरसंचार			14	16.59	22	6.16	3	0.09	61	2.83
विद्युत					1	0.07	6	0.26	22	17.00
जल संसाधन					8	0.93				
योग	8	7.33	30	24.83	180	370.01	12	0.45	126	101.82

परिशिष्ट II- घ
(पैराग्राफ 2.13.1 के संदर्भ में)

विदेश में खरीदों हेतु उचित लेखे की बकाया राशि (2001 से)

(₹ हजार में)

क्र. सं.	आयातक का नाम	कर्जों की सं.	राशि
1.	सड़क एवं भवन विभाग, गुजरात	1	1104
2.	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	1	5198
3.	मैसूर सीमेन्ट लिमिटेड	1	4326
4.	रेल मंत्रालय	2	8399
5.	पाईराइट्स, फोस्फेट्स एवं रसायन लिमिटेड	2	249513
6.	रेल बोगी कारखाना, कपूरथला	1	1895
7.	रेलवे बोर्ड	2	13119
8.	रेल क्वायल स्प्रिंग	1	7111
9.	जल संसाधन मंत्रालय	3	9793
10.	पवन हंस लिमिटेड	1	574384
11.	दूरसंचार विभाग	6	14737
12.	उर्वरक एवं रसायन ट्रावनकोर लिमिटेड	1	341
13.	भारतीय किसान उर्वरक सहकारिता लिमिटेड	3	14257
14.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सहयोगी अस्पताल	1	9962
15.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	1	136
16.	खनिज एवं धातु व्यापार निगम	1	14444
17.	गृह मंत्रालय, नई दिल्ली	1	2255
18.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	4	289762
19.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय -तकनीकी	2	4082
20.	कोचीन पत्तन न्यास	1	3648
21.	दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम, दिल्ली	1	78009
22.	भिलाई इस्पात संयंत्र	1	1200
23.	भारत कोयला लिमिटेड (प.ब.)	1	231832
24.	सी.एम.ए.एल.-डी.एल.	1	348
25.	झांजरा भिलाई इस्पात संयंत्र	1	906
26.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	3	59427
27.	आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	1	47476
28.	भारतीय हेलीकॉप्टर निगम	1	672356
29.	कृभको वर्षा कृषि एवं पूर्वी एवं पश्चिमी घाट परियोजना	2	7079
30.	जिला गरीबी प्रारम्भिक परियोजना	1	14630
31.	भारत सरकार, विनिवेश आयोग	1	17805
योग			2359534

परिशिष्ट II- ड
(पैराग्राफ 2.13.2 के संदर्भ में)
ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

(₹ हजार में)

क्र. सं.	लेखे का शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.3.2010 को शेष	अवधि जबसे शेष प्रतिकूल हुए
	विवरणी सं. 13			
1.	8115.00.101	मूल्यहास आरक्षित निधि-रेलवे वाणिज्यिक रेखाएं	डेबिट 24377858	2009-10
2.	8117.00.101	रेलवे विकास निधि-वाणिज्यिक रेखाएं	डेबिट 7792829	2009-10
3.	8121.00.103	रेलवे पेंशन निधि – वाणिज्यिक रेखाएं	डेबिट 11257942	2009-10
4.	8121.00.108	स्टाफ लाभ निधि (रेलव सामरिक रेखाएं)	डेबिट 2462	2009-10
5.	8229.00.200	अन्य विकास एवं कल्याण निधि	डेबिट 1479005	2007-08
6.	8231.00.102	रेल सुरक्षा निधि (सामरिक)	डेबिट 1	2004-05
7.	8336.00.101	प्रतिभूति जमा	डेबिट 6098	2007-08
8.	8443.00.111	अन्य विभागीय जमा	डेबिट 848125	2006-07
9.	8445.00.104	रेल जमा- ट्रस्ट ब्याज लेखा	डेबिट 198265	2005-06
10.	8445.00.800	रेल जमा- अन्य जमा	डेबिट 1124688	2005-06
11.	8446.00.800	डाक जमा- अन्य जमा	डेबिट 165644	2005-06
12.	8448.00.102	स्थानीय निधियों का जमा- नगरपालिका निधियां	डेबिट 3	2007-08
13.	8448.00.104	स्थानीय निधियों का जमा- भारतीय बीमा संघ की निधियां	डेबिट 291	1976-77 से पूर्व
14.	8451.00.101	भोपाल गैस रिसाव विपदा सहायता निधि- दावे एवं राहत निधि	डेबिट 9296337	2005-06
15.	8451.00.102	भोपाल गैस रिसाव विपदा सहायता निधि- दावे एवं राहत निधि निवेश लेखा	क्रेडिट 9202162	2005-06
16.	8550.00.101	सिविल पेशगी- वन पेशगी	क्रेडिट 9344	1995-96
17.	8670.00.110	इलेक्ट्रानिक सजापन	डेबिट 409057	2008-09

परिशिष्ट II- ड
(पैराग्राफ 2.13.2 के संदर्भ में)
ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

(₹ हजार में)

क्र. सं.	लेखे का शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.3.2010 को शेष		अवधि जबसे शेष प्रतिकूल हुए
18.	8671.00.104	विभागीय शेष-रक्षा	क्रेडिट	41438	2004-05
विवरणी सं. 14					
19.	6002-207	यूरोपियन आर्थिक समुदाय से कर्जे	डेबिट	552932	2000-01
20.	6002-208	फ्रांस सरकार से कर्जे	डेबिट	19721779	2000-01
21.	6002-226	अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सं.रा.अ. से कर्जे	डेबिट	29729759	1995-96
22.	6002-227	पी.एल. -480 परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा क्रेडिटों के अंतर्गत सं.रा.अ. सरकार से ऋण	डेबिट	12761314	1995-96
23.	8013-01-101	सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों हेतु जमा योजना, 1989	डेबिट	620407	2007-08
विवरणी सं. 15					
24.	6202.01.203	विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा	क्रेडिट	1568	2004-05
25.	6215.02.800	अन्य कर्जे	क्रेडिट	16936	2001-02
26.	6216-80-190	लोक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को कर्जे	क्रेडिट	2	2008-09
27.	6225.01.800	अन्य कर्जे	क्रेडिट	829	1994-95
28.	6245.01.101	निःशुल्क सहायता	क्रेडिट	830	1986-87
29.	6245.02.101	निःशुल्क सहायता	क्रेडिट	2157	1997-98
30.	6402.102	भू-संरक्षण	क्रेडिट	7354	1995-96
31.	6402.203	भूमि उद्धार एवं विकास	क्रेडिट	592	2007-08
32.	6404.800	अन्य कर्जे	क्रेडिट	4099161	2004-05
33.	6405.106	मत्स्य शिल्प का यंत्रीकरण	क्रेडिट	405	2006-07
34.	6425.108	अन्य सहकारिताओं को कर्जे	क्रेडिट	3842580	2003-04
35.	6515.102	सामुदायिक विकास	क्रेडिट	65	1986-87
36.	6801.201	हाइडल उत्सर्जन	क्रेडिट	3068415	2004-05
37.	6801.205	ट्रांसमिशन एवं संवितरण	क्रेडिट	897583	2005-06
38.	6851.102	लघु उद्योग	क्रेडिट	3120	2006-07
39.	6857.01.190	लोक क्षेत्र एवं अन्य उद्यमों को कर्जे	क्रेडिट	335320	2006-07

परिशिष्ट II- ड
(पैराग्राफ 2.13.2 के संदर्भ में)
ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

(₹ हजार में)

क्र. सं.	लेखे का शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.3.2010 को शेष		अवधि जबसे शेष प्रतिकूल हुए
40	7052.02.101	एस.डी.एफ.सी. को कर्जे	क्रेडिट	2941224	2002-03
41.	7425.800	अन्य कर्जे	क्रेडिट	3074	2005-06
राज्य सरकारों को कर्जे एवं पेशगियां					
42.	7601.07	कर्नाटक	क्रेडिट	4805	2006-07
43.	7601.07	केरल	क्रेडिट	1213	2006-07
विदेशी सरकारों को पेशगी					
44.	7605.052	तुर्कमानिस्तान सरकार को कर्जे	क्रेडिट	1,23,35	2008-09
45.	7605.053	क्रीर्गिस्तान सरकार को कर्जे	क्रेडिट	305	2007-08
46.	7605.058	उजबेकिस्तान सरकार को कर्जे	क्रेडिट	123161	2007-08
सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्जे					
47.	7610.203	अन्य वाहनों की खरीद हेतु पेशगी	क्रेडिट	48498	2004-05
विवरणी सं. 16					
48.	8001-00-103	मियादी एवं सावधि जमा	डेबिट	48	2005-06
49.	8002-00-101	डाकघर प्रमाण-पत्र	डेबिट	1505353	1999-2000
50.	8002-00-103	खजाना बचत जमा प्रमाणपत्र	डेबिट	6962	1976-77
51.	8002-00-105	बैंक श्रंखला	डेबिट	189	2007-08

परिशिष्ट II- च

(पैराग्राफ 2.13.2 के संदर्भ में)

(i) चयनित प्र.ले.का. में प्रतिकूल शेषों की सूची

(₹ हजार में)

विभाग का नाम	क्र. सं.	लेखे का शीर्ष	राशि
नियंत्रक सहायता लेखे एवं लेखापरीक्षा	1.	6002- बाह्य ऋण 207- इ.इ.सी.	552932 डेबिट
	2.	6002- बाह्य ऋण 208- फ्रांस	19722406 डेबिट
	3.	6002- बाह्य ऋण 226- यू.एस.एड	29729759 डेबिट
	4.	6002- बाह्य ऋण 227- यू.एस.ए. पी.एल. 480	12761314 डेबिट
	कुल 6002- बाह्य ऋण (क्र. सं. 1 से 4)		
आर्थिक कार्य विभाग	5.	7052-02-101-जहाजरानी - तटीय जहाजरानी हेतु ऋण - एस.डी.एफ.सी. को कर्जे	2941224 क्रेडिट
	6.	7605-विदेशी सरकार को पेशगी- 052 तुकमेनिस्तान	12336 क्रेडिट
	7.	7605- विदेशी सरकार को पेशगी -053 खिरस्तान	305 क्रेडिट
	8.	7605- विदेशी सरकार को पेशगी -058 उजबेकिस्तान	123161 क्रेडिट
	9.	8002-बचत प्रणामपत्र -104-रक्षा बचत प्रमाणपत्र	95 डेबिट
	10.	8112-विशेष जमा एवं लेखे -117-भारतीय यूनिट ट्रस्ट का जमा	808 डेबिट
	11.	8013-अन्य जमा एवं लेखे -101-सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों हेतु जमा योजना, 89	619979 डेबिट
	12.	8342-अन्य जमा -117- सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	2475 डेबिट
	13.	8342-अन्य जमा -120-विविध जमा	1090203 डेबिट.
	14.	8443- सिविल जमा -103-प्रतिभूति जमा	3741 डेबिट
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सी.बी.डी.टी.	15.	8342-अन्य जमा -117- सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	5699 डेबिट
	16.	7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्जे -203-अन्य वाहन के क्रय हेतु पेशगी	872 क्रेडिट
वि.मं.	17.	7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्जे -202-मोटर वाहन के क्रय हेतु पेशगी	655 क्रेडिट
	18.	8443- सिविल जमा -113-विदेशों आदि में क्रय हेतु जमा	193987 डेबिट

परिशिष्ट II- च

(पैराग्राफ 2.13.2 के संदर्भ में)

(i) चयनित प्र.ले.का. में प्रतिकूल शेषों की सूची

(₹ हजार में)

	19.	8443- सिविल जमा -117-लोक निकायों या निजी व्यक्तियों हेतु किए गए कार्य हेतु जमा	260257 डेबिट
--	-----	--	--------------

(ii) प्र.ले.का. में अवलोकित किए गए परंतु समेकित वित्त लेखे में प्रदर्शित न किए गए प्रतिकूल शेष

(₹ हजार में)

विभाग का नाम	क्र. सं.	लेखे का शीर्ष	राशि
आर्थिक कार्य मंत्रालय	1	8002-बचत प्रमाणपत्र 104-रक्षा बचत प्रमाणपत्र	95 डेबिट
	2	8002-बचत प्रमाणपत्र 117-भारतीय यूनिट ट्रस्ट का जमा	808 डेबिट
	3	8342-अन्य जमा 117- सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	2475 डेबिट
	4	8342-अन्य जमा 120- विविध जमा	1090203 डेबिट
	5	8443- सिविल जमा 103-प्रतिभूति जमा	3741 डेबिट
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	6	8342.00.117- सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	5699 डेबिट
विदेश मंत्रालय	7	7610.00.202- मोटर वाहन के क्रय हेतु अग्रिम	655 क्रेडिट
	8	8443.00.113- विदेशों में क्रय हेतु जमा आदि	193987 डेबिट
	9	8443.00.117- लोक निकायों या निजी व्यक्तियों हेतु किए गए कार्य हेतु जमा	260257 डेबिट

परिशिष्ट -V -क
(पैराग्राफ 5.1 के संदर्भ में)
संघ सरकार की कुल देयता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंतरिक ऋण	बाह्य ऋण		लोक लेखा*		कुल देयता	
		ऐतिहासिक दर पर	वर्तमान दर पर	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि एवं जमा	ऐतिहासिक दर पर	वर्तमान दर पर
2002-03	1020689	59612	196068	251293	80126	1411720	1548176
2003-04	1141706	46125	184203	241349	92376	1521556	1659634
2004-05	1275971	60877	191271	263048	92989	1692885	1823279
2005-06	1389758	94243	194199	275380	109462	1868843	1968799
2006-07	1544975	102716	201233	307546	131295	2086532	2185049
2007-08	1799651	112031	210104	339815	126787	2378284	2476357
2008-09	2019841	123046	264059	427553	128682	2699122	2840135
2009-10	2316281	134083	249306	475884#	119453#	3045701	3160924

* 1999-2000 से लोक लेखा देयताएँ विशेष राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किए की सीमा तक लघु बचतों के कारण देयताओं को सम्मिलित नहीं करती।

31.3.2010 को, लोक लेखा देयताएँ ₹ 10,67,541 करोड़ थी जिसमें 2007-08 से विशेष राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किए ₹ 4,82,762 करोड़ तथा आई.आई.एफ.सी.एल. में निवेश किए ₹ 1,500 करोड़ सम्मिलित हैं।

•

परिशिष्ट -V -ख
(पैराग्राफ 5.6 के संदर्भ में)
अप्रयुक्त बाह्य सहायता-क्षेत्र-वार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान दर पर अप्रयुक्त बाह्य सहायता
1.	ऊर्जा	7958.87
2.	सड़के	11617.47
3.	सामाजिक	1571.93
4.	शहरी विकास	23882.75
5.	जल संसाधन प्रबंधन	7195.09
6.	परमाणु ऊर्जा	3910.62
7.	कृषि एवं ग्रामीण विकास	9557.49
8.	पर्यावरण एवं वन	3770.98
9.	अवसंरचना क्षेत्र (सामान्य)	5492.86
10.	अन्य	208.91
11.	अवसंरचना क्षेत्र (रेलवे)	5201.61
12.	संरचना समायोजन/तीव्र संवितरण	9077.58
13.	स्वास्थ्य	4864.68
14.	उद्योग एवं वित्त	607.18
15.	ऊर्जा क्षेत्र (सामान्य)	1475.82
16.	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	8944.7
	योग	105338.54

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VI- क
(पैराग्राफ 6.4 के संदर्भ में)
अनुमोदन तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

संवितरणों का प्रकार	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत
क - सिविल					
दत्तमत					
I. राजस्व	667429.75	81044.43	748474.18	715761.17	32713.01
II. पूंजीगत	52991.56	17953.12	70944.68	43030.69	27913.99
III. कर्जे एवं पेशगियां	8666.78	2620.60	11287.38	9666.47	1620.91
योग	729088.09	101618.15	830706.24	768458.33	62247.91
प्रभारित					
IV. राजस्व	268466.75	49.10	268515.85	255594.04	12921.81
V. पूंजीगत	42.17	1.10	43.27	32.85	10.42
VI. लोक ऋण	1880843.21	1367361.86	3248205.07	3085791.90	162413.17
VII. कर्जे एवं पेशगियां	6642.00	2200.00	8842.00	7835.01	1006.99
योग	2155994.13	1369612.06	3525606.19	3349253.80	176352.39
कुल योग	2885082.22	1471230.21	4356312.43	4117712.13	238600.30
संवितरण की कटौती में वसूलियां			131849.43	122738.76	(-) 9110.67
कुल निवल प्रावधान			4224463.00		
कुल निवल संवितरण				3994973.37	
ख - डाक					
दत्तमत					
I. राजस्व	12090.10	432.57	12522.67	13344.83	(+) 822.16
II. पूंजीगत	388.80	0.01	388.81	261.62	127.19
योग	12478.90	432.58	12911.48	13606.45	(+) 694.97
प्रभारित					
III. राजस्व	0.10	4.03	4.13	2.11	2.02
IV. पूंजीगत	-	0.10	0.10	0.04	0.06
योग	0.10	4.13	4.23	2.15	2.08
कुल योग	12479.00	436.71	12915.71	13608.60	(+) 692.89
संवितरण की कटौती में वसूलियां			322.00	438.94	116.94
कुल निवल प्रावधान			12593		
कुल निवल संवितरण				13169.66	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VI- क
(पैराग्राफ 6.4 के संदर्भ में)
अनुमोदन तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

संवितरणों का प्रकार	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत	
ग- रक्षा सेवाएं						
दत्तमत						
I. राजस्व	90847.25	2732.87	93580.12	94645.46	(+)1065.34	
II. पूंजीगत	54779.62	-	54779.62	51019.42	3760.20	
योग	145626.87	2732.87	148359.74	145664.88	2694.86	
प्रभारित						
III. राजस्व	23.41	5.96	29.37	23.21	6.16	
IV. पूंजीगत	44.38	65.77	110.15	92.95	17.20	
योग	67.79	71.73	139.52	116.16	23.96	
कुल योग	145694.66	2804.60	148499.26	145781.04	2718.22	
संवितरण की कटौती में वसूलियां			334.72	292.32		
कुल निवल प्रावधान			148164.54			
कुल निवल संवितरण				145488.72		
घ-रेलवे						
दत्तमत						
	167186.38	5999.23	173185.61	165009.64	8175.97	
प्रभारित						
	139.50	42.71	182.20	192.53	(+)10.33	
योग	167325.88	6041.94	173367.81	165202.17	8165.64	
व्यय की कटौती में वसूलियां			61858.02	59062.04		
कुल निवल प्रावधान			111509.79			
कुल निवल संवितरण				106140.13		
योग	दत्तमत	1054380.24	110782.83	1165163.07	1092739.30	72423.77
भा.स.नि.	प्रभारित	2156201.52	1369730.63	3525932.14	3349564.64	176367.50
भा.स.नि.	कुल योग	1480513.46	4691095.21	4442303.94	248791.27	
व्यय की कटौती में कुल वसूलियां			194364.17	182532.06	11832.11	
विनियोग लेखे (भा.स.नि.) के अनुसार कुल व्यय				4260071.88		
वित्त लेखे के आंकड़ों के साथ भिन्नता				0.01		
वित्त लेखे के अनुसार भा.स.नि. से कुल संवितरण				4260071.89		

टिप्पणी: अनुदानों की मांगों में, प्रभारित संवितरण का प्रावधान विनियोग कहलाता है और दत्तमत संवितरण में, यह अनुदान कहलाता है।
भा.स.नि.: भारत की समेकित निधि

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VI-ख
(पैराग्राफ 6.6 के संदर्भ में)
अनुदानों/विनियोगों में निवल बचत

(₹ करोड़ में)

प्रभावित अनुदान तथा विनियोग	अव्ययित प्रावधान		आधिक्य		निवल बचत	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
क - सिविल						
दत्तमत	41931.90	29534.90	9218.89	-	32713.01	29534.90
अनुदानों की संख्या	88	72	4	-		
प्रभारित		163430.5				
	12921.81	8	-	-	12921.81	163430.58
विनियोगों की संख्या	35	10		-		
ख - डाक						
दत्तमत	-	127.19	822.16	-	(+) 822.16*	127.19
अनुदानों की संख्या		1	1	-		
प्रभारित	2.02	0.06	-	-	2.02	0.06
विनियोगों की संख्या	1	1	-	-		
ग - रक्षा सेवाएं						
दत्तमत	1549.28	3760.20	2614.62	-	(+)1065.34*	3760.20
अनुदानों की संख्या	3	1	2	-	-	-
प्रभारित	6.76	17.20	0.60	-	6.16	17.20
विनियोगों की संख्या	4	1	1	-	-	-
घ-रेलवे						
दत्तमत	4577.45	5505.69	1907.17	-	2670.28	5505.69
अनुदानों की संख्या	7	1	8	-		
प्रभारित	3.31	8.80	19.08	3.36	(+)15.77*	5.44
विनियोगों की संख्या	8	1	3	1		

* आधिक्य

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VI- ग

(पैराग्राफ 6.7 के संदर्भ में)

सिविल मंत्रालयों/ विभागों के अंतर्गत प्रभारित तथा दत्तमत संवितरणों का समानुपात

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	अनुमोदन			संवितरण			प्रतिशतता	
		दत्तमत	प्रभारित	योग	दत्तमत	प्रभारित	योग	दत्तमत	प्रभारित
1.	1998-99	139083	504105	643188	139488	468679	608167	23	77
2.	1999-2000	157780	512075	669855	148642	453196	601838	25	75
3.	2000-01	173677	530530	704207	160753	405289	566042	28	72
4.	2001-02	218136	481679	699815	201574	473950	675524	30	70
5.	2002-03	230649	547152	777801	213833	504119	717952	30	70
6.	2003-04	254328	564275	818603	231100	599889	830989	28	72
7.	2004-05	278555	703835	982390	252254	724942	977196	26	74
8.	2005-06	330051	1193138	1523189	301269	1288817	1590086	19	81
9.	2006-07	449178	1635986	2085164	415785	1670413	2086198	20	80
10.	2007-08	551115	1894750	2445865	519214	1818879	2338093	22	78
11.	2008-09	780316	2440552	3220868	744116	2404957	3149073	24	76
12.	2009-10	830706	3525606	4356312	768458	3349254	4117712	19	81

परिशिष्ट-VII-क

(पैराग्राफ 7.3 के संदर्भ में)

निधि के उपयुक्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण
(₹ दो करोड़ और उससे अधिक)

					(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय	
सिविल					
2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग					
1.	2415.01.150.05-कृषि उत्पाद उपकरण अधिनियम, 1940 के अंतर्गत उपकरण की निवल प्राप्ति का भुगतान	मू. पु.	10.00 (-) 7.55	4.90	2.45
4-परमाणु ऊर्जा					
2.	2852.09.202.01-ईंधन निर्माण सुविधा	मू. अ. पु.	696.75 265.72 (-) 3.00	967.70	8.23
11-वाणिज्य विभाग					
3.	3453.00.102.01-व्यापार आयुक्त	मू. पु.	98.58 (-) 5.93	98.72	6.07
14-दूरसंचार विभाग					
4.	3451.00.091.03-टेलिमैटिक्स के विकास हेतु केन्द्र	मू. पु.	265.00 (-) 175.00	100.00	10.00
5.	2071.01.101.01- साधारण पेंशन	मू. अ. पु.	1045.00 160.67 143.82	1493.92	144.43
6.	2071.01.105.02- परिवार पेंशन	मू. अ.	189.25 63.85	277.12	24.02
19-संस्कृति मंत्रालय					
7.	2205.00.105.01- राष्ट्रीय पुस्तकालय - कोलकाता	मू. पु.	39.50 (-)10.71	35.26	6.47
8.	4202.04.106.01- भवन	मू. अ. पु.	5.00 4.67 (-) 4.88	7.13	2.34
20 - रक्षा मंत्रालय					
9.	2037.00.102.06- तटरक्षक संगठन	मू. पु.	604.37 (-) 0.01	621.08	16.72
10.	2055.00.104.02 -जम्मू एवं कश्मीर लाईट इन्फेन्ट्री के संबंध में प्रदत्त प्रभार	मू. अ. पु.	549.93 12.14 6.37	717.95	149.51
21-रक्षा पेंशन					
11.	2071.02.101.01-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू. अ. पु.	19113.61 3327.29 (-) 46.81	30569.31	8175.22

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VII-क

(पैराग्राफ 7.3 के संदर्भ में)

निधि के उपयुक्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण

(₹ दो करोड़ और उससे अधिक)

					(₹ करोड़ में)	
क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष		प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय	
12.	2071.02.102.01- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू. अ. पु.	635.33 87.73 39.55	1088.35	325.74	
13.	2071.02.103.01- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू. अ. पु.	1345.64 215.91 (-)1.15	2122.06	561.66	
31- विदेश मंत्रालय						
14.	2061.00.101.01- प्रबंधन एवं स्थापना	मू. पु.	1246.32 41.72	1375.91	87.87	
15.	2061.00.798.03-संयुक्त राष्ट्र संगठन	मू. पु.	118.59 (-) 17.73	104.56	3.70	
16.	3605.00.101.10- भूटान को सहायता	मू. अ. पु.	961.00 8.00 103.10	1119.72	47.62	
17.	3605.00.101.11- नेपाल को सहायता	मू. पु.	238.00 (-) 88.00	161.14	11.14	
18.	3605.00.101.17- आई.टी.ई.सी. कार्यक्रम	मू. पु.	70.00 15.00	94.61	9.61	
19.	4216.01.700.18- विदेशी कार्य	मू. पु.	125.00 (-) 45.00	83.19	3.19	
34- विनियोग - ब्याज भुगतान						
20.	2049.01.103.01- खजाना बिल - 91 दिवसीय खजाना बिलों पर छूट	मू. पु.	4350.00 (-) 1809.00	2623.35	82.35	
21.	2049.01.108-182 दिवसीय खजाना बिल	मू. पु.	1400.00 (-) 598.00	830.23	28.23	
22.	2049.01.110- 364 दिवसीय खजाना बिलों पर ब्याज	मू. पु.	2800.00 (-)1076.00	1775.60	51.60	
23.	2049.01.115-अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज	मू. पु.	405.00 (-) 3.00	430.92	28.92	
24.	2049.01.200.03- क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	मू. पु.	4897.94 (-) 236.92	4724.27	63.25	
25.	2049.02.216- आई.बी.आर.डी. से ऋणों पर ब्याज	मू. पु.	1000.34 (-) 429.92	572.46	2.04	
26.	2049.03.104.01-सामान्य भविष्य निधि	मू. पु.	4080.43 (-) 431.82	3710.24	61.63	
27.	2049.03.104.04- राज्य रेलवे भविष्य निधि	मू. पु.	1241.15 126.74	1392.58	24.69	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VII-क

(पैराग्राफ 7.3 के संदर्भ में)

निधि के उपयुक्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण

(₹ दो करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष		प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
28.	2049.03.104.02-अन्य राज्य भविष्य निधि	मू. पु.	1332.27 35.17	1546.21	178.77
29.	2049.03.110.01- भारतीय पदों के असंवितरित वेतन हेतु बोनस	मू. पु.	90.19 79.14	301.70	132.37
30.	2049.05.103-रेलवे विकास निधि पर ब्याज	मू. पु.	138.29 (-) 27.94	122.36	12.01
35-राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण					
31.	2245.80.103.01-गंभीर प्राकृतिक आपदा हेतु एन.सी.सी.एफ. से राज्य को सहायता	मू. अ. पु.	2500.00 1200.00 (-) 1098.48	3261.52	660.00
37-ऋण का पुनर्भुगतान					
32.	6001.00.103.01-91 दिवसीय खजाना बिल (प्रभारित)	मू. अ.	173548.00 130001.00	305549.00	2000.00
33.	6001.00.106.30- 8% बचज बंधपत्र, 2003 (प्रभारित)	मू. पु.	6377.00 (-)157.48	6405.58	186.06
34.	6001.00.108-182 दिवसीय खजाना बिल (प्रभारित)	मू. अ.	38034.00 2516.00	41550.00	1000.00
39-पेंशन					
35.	2071.01.101.01- साधारण पेंशन	मू. अ. पु.	5720.08 3374.00 (-) 18.04	9488.67	412.63
49-भारी उद्योग विभाग					
36.	4858.60.190.05-उपकरण विनियोग में निवेश	मू. अ. पु.	2.32 0.02 5.00	45.68	38.34
53-पुलिस					
37.	4055.00.203.01-महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल	मू. अ. पु.	819.26 0.09 104.80	932.95	8.80
38.	4055.00.203.02-भारत तिब्बत सीमा पुलिस	मू. अ. पु.	227.35 0.02 (-) 2.53	260.13	35.29
54-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय					
39.	2235.60.107.03-केन्द्रीय सरकार पेंशन	मू. पु.	550.00 114.00	825.01	161.01
64-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय					
40.	2851.00.200.16-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	मू. पु.	547.80 (-)140.17	409.68	2.05
73-योजना मंत्रालय					

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VII-क

(पैराग्राफ 7.3 के संदर्भ में)

निधि के उपयुक्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण

(₹ दो करोड़ और उससे अधिक)

					(₹ करोड़ में)	
क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष		प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय	
41.	3475.00.800.52- योजना हेतु 50 वर्षीय पहल	मू. पु.	30.71 (-) 27.77	9.84	6.90	
42.	5475.00.800.14-कार्यालयी प्रणाली का आधुनिकीकरण	मू. पु.	13.00 (-) 5.84	9.18	2.02	
87-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय						
43.	3054.02.337.05-सीमा सड़क स्कंध द्वारा अनुसंधान	मू.	96.97	99.47	2.50	
44.	3601.01.821.02- बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत सड़क कार्य	मू. पु.	1618.01 (-)467.01	1173.27	22.27	
45.	3601.01.821.04- सुस्था विस्तार पर व्यय	मू.	34.11	42.94	8.83	
95 – अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह						
46.	5054.03.337.01 – अण्डमान प्रधान मार्ग	मू. पु.	13.50 4.90	21.10	2.70	
100-शहरी विकास विभाग						
47.	2216.05.053.01- आवासीय भवनों की मरम्मत एवं अनुसंधान	मू. पु.	276.50 17.48	297.19	3.21	
48.	2216.05.053.02-निर्माण	मू. पु.	16.00 (-) 6.00	13.58	3.58	
49.	2217.05.191.04-जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नदीकरण मिशन	मू. पु.	15.00 (-) 9.00	8.73	2.73	
103-जल संसाधन मंत्रालय						
50.	3451.00.090.16- जल संसाधन मंत्रालय	मू. पु.	21.00 2.00	27.51	4.51	
51.	2701.80.001.01-केन्द्रीय जल आयोग	मू. पु.	23.00 0.25	25.57	2.32	
52.	2701.80.002.01- केन्द्रीय जल आयोग	मू. अ.	69.22 2.96	82.02	9.84	
53.	2701.80.004.01-राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	मू.	5.30	10.04	4.74	
54.	2701.80.004.03-केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान	मू. पु.	31.50 1.80	43.25	9.95	
55.	2701.80.006.01- केन्द्रीय जल आयोग	मू. पु.	21.90 0.45	26.35	4.00	
56.	2702.02.005.01-केन्द्रीय भू-जल बोर्ड	मू. पु.	95.00 8.11	108.81	5.71	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VII-क

(पैराग्राफ 7.3 के संदर्भ में)

निधि के उपयुक्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण

(₹ दो करोड़ और उससे अधिक)

					(₹ करोड़ में)	
क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष		प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय	
57.	2711.01.800.01- केन्द्रीय जल आयोग	मू. पु.	55.00 5.00	65.35	5.35	
डाक विभाग						
13 – डाक सेवाएं						
58.	3201.01.101.01-परिमण्डल कार्यालय	मू. अ. पु.	147.76 0.45 36.79	189.34	4.34	
59.	3201.01.101.03- डाक प्रभाग (दत्तमत)	मू. अ. पु.	292.60 1.66 39.82	346.38	12.30	
60.	3201.02.101.01- विद्यमान डाकघर	मू. अ. पु.	4224.31 136.39 123.16	4731.67	247.81	
61.	3201.02.101.10-ग्रामीण डाक सेवक	मू. पु.	2072.84 (-) 406.58	1829.67	163.41	
62.	3201.02.101.04- प्रीमियम उत्पाद सेवाएं	मू. पु.	87.88 (-) 1.95	88.87	2.94	
63.	3201.02.102.02- ग्रामीण डाक सेवक पत्रवाहक	मू. पु.	32.00 0.75	39.88	7.13	
64.	3201.02.103.06- अन्य	मू. पु.	136.04 11.46	153.47	5.97	
65.	3201.02.104.05- अन्य मदें	मू. पु.	100.00 (-) 100.00	65.24	65.24	
66.	3201.02.104.08- वार्षिक अनुस्मरण	मू. पु.	27.00 (-) 15.00	17.49	5.49	
67.	3201.03.101.08- डाक जीवन बीमा शाखा परिमण्डल कार्यालय	मू. पु.	50.60 5.91	58.59	2.08	
68.	3201.04.101.01-लेखापरीक्षा स्टाफ के वेतन एवं भत्तों की लागत	मू. पु.	60.00 7.96	71.38	3.42	
69.	3201.04.102.02 -डाक लेखा कार्यालय परिमण्डल	मू. अ. पु.	220.21 2.07 10.72	276.14	43.14	
70.	3201.05.053.03- भवन स्थापना	मू. पु.	29.94 3.06	36.74	3.74	
71.	3201.06.101.05- के.स.स्वा.से. योजना के अंतर्गत भुगतान	मू. पु.	17.40 0.10	20.34	2.84	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VII-क

(पैराग्राफ 7.3 के संदर्भ में)

निधि के उपयुक्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण

(₹ दो करोड़ और उससे अधिक)

				(₹ करोड़ में)	
क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय	
72.	3201.07.101.01- सेवा निवृत्त एवं सेवा-निवृत्ति भत्ते	मू. 1237.00 अ. 13.00 पु. 7.00	1519.14	262.14	
73.	3201.07.101.03- पहले के संयुक्त डाक एवं दूरसंचार विभाग के पेंशन भोगियों को भुगतान	मू. 0.00	13.36	13.36	
74.	3201.07.102 -पेंशन रूपान्तरित मूल्य	मू. 350.00 अ. 130.00 पु. (-) 57.00	447.33	24.33	
75.	3201.07.104- उपदान	मू. 370.00 अ. 80.00 पु. (-) 23.00	458.70	31.70	
76.	3201.07.108- अवकाश नकदीकरण लाभ	मू. 150.00 अ. 10.00 पु. 9.00	182.15	13.15	
77.	3201.07.110- परिभाषित नई पेंशन योजना हेतु सरकारी अंशदान	मू. 13.00 अ. 2.00 पु. 9.00	34.31	10.31	
78.	3201.60.102 – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम	मू. 6.00	9.05	3.05	
79.	5201.00.104- डाक सेवाओं (दत्तमत) का यंत्रीकरण एवं आधुनिकीकरण (दत्तमत)	111360.25 (-) 160.23	241.24	41.22	
रक्षा सेवाएं					
22 –रक्षा सेवाएं - थल सेना					
80.	2076.00.101- थल सेना के वेतन एवं भत्ते	मू. 33125.80	36191.25	3065.45	
81.	2076.00.103 – मुख्य बलों के वेतन एवं भत्ते तथा विविध व्यय	मू. 686.78	704.98	18.20	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VII-क

(पैराग्राफ 7.3 के संदर्भ में)

निधि के उपयुक्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण

(₹ दो करोड़ और उससे अधिक)

					(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय	
82.	2076.00.104 – असैनिकों के वेतन एवं भत्ते	मू. 2961.13	3132.27	171.14	
83.	2076.00.105- परिवहन	मू. 1468.20	1791.54	323.34	
84.	2076.00.106-मिलिट्री फोरम	मू. 215.13	218.52	3.39	
85.	2076.00.107-सेवानिवृत्त सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना	मू. 690.00	891.96	201.96	
86.	2076.00.109- निरीक्षण संस्था	मू. 557.96	609.13	51.17	
23 – रक्षा सेवाएं - जल सेना					
87.	2077.00.101-जल सेना के वेतन एवं भत्ते	मू. अ. 1600.00 733.32	2656.90	323.58	
88.	2077.00.104 – असैनिकों के वेतन एवं भत्ते	मू. 1249.80	1314.01	64.21	
89.	2077.00.105 – परिवहन	मू. 225.00	232.54	7.54	
26 – रक्षा सेवाएं – अनुसंधान एवं विकास					
90.	2080.00.101 – सेवा कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते	मू. 156.69	220.34	63.65	
91.	2080.00.102 – असैनिकों के वेतन एवं भत्ते	मू. 1440.69	1525.66	84.97	
27- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय					
92.	4076.01.102 – भारी एवं मध्यम वाहन	मू. 831.80	1273.56	441.76	
93.	4076.02.204 – नौ सेना बेड़ा	मू. 6840.81	7459.57	618.76	
94.	4076.05.052-मशीनरी एवं उपकरण	मू. 3302.89	3802.26	499.37	
योग				21774.78	

परिशिष्ट-VII-ख
(पैराग्राफ 7.4 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत ₹100 करोड़ अथवा उससे अधिक बचतों को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	बचत की राशि
सिविल		
राजस्व ढ़ दत्तमत		
1.	1- कृषि और सहकारिता विभाग	155.13
2.	3- पशुपालन, डेरी कार्य तथा मतस्यकी विभाग	333.09
3.	4-परमाणु ऊर्जा	150.80
4.	5 - नाभिकीय विद्युत योजनाएं	417.46
5.	7- उर्वरक विभाग	550.56
6.	15 - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	883.56
7.	17 - खाद्य एवं जन-वितरण विभाग	225.61
8.	31 - विदेश मंत्रालय	279.72
9.	32- आर्थिक कार्य विभाग	308.66
10.	33- वित्तीय सेवाएं विभाग	1872.72
11.	35 - राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अन्तरण	5708.01
12.	42 -प्रत्यक्ष कर	158.13
13.	46 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	603.64
14.	53 - पुलिस	285.92
15.	56- आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	276.21
16.	57 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	4767.74
17.	58 - उच्चतर शिक्षा विभाग	1552.60
18.	59 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	219.75
19.	60- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	185.26
20.	62 - विधि एवं न्याय	243.48
21.	64 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपवर्द्धम मंत्रालय	335.07
22.	69 - पंचायती राज मंत्रालय	1003.89
23.	73 -योजना मंत्रालय	334.23
24.	74 -विद्युत मंत्रालय	2325.67
25.	80- ग्रामीण विकास विभाग	11142.92
26.	81- भू-संसाधन विभाग	380.57
27.	85 -जैव प्रौद्योगिकी विभाग	117.46
28.	86 - जहाजरानी विभाग	613.26
29.	87 - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	3098.99
30.	90- सांख्यिकी एवं कार्यवर्द्धम कार्यान्वयन मंत्रालय	150.04
31.	92 -कपड़ा मंत्रालय	298.08
32.	97- दादरा एवं नागर हवेली	718.58

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VII-ख
(पैराग्राफ 7.4 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत ₹100 करोड़ अथवा उससे अधिक बचतों को दर्शाती विवरणी
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	बचत की राशि
33.	98- दमन एवं दीयू	178.43
राजस्व - प्रभारित		
34.	34 -विनियोग - ब्याज भुगतान	6996.56
35.	35 - राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अन्तरण	4800.00
36.	94- जनजातीय कार्य मंत्रालय	1112.65
पूँजीगत - दत्तमत		
37.	4- परमाणु ऊर्जा	109.10
38.	20- रक्षा मंत्रालय	424.64
39.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	129.44
40.	32-आर्थिक कार्य विभाग	12280.57
41.	33-वित्तीय सेवाएं विभाग	2075.00
42.	36-सरकारी कर्मचारी को ऋण आदि	120.14
43.	42-प्रत्यक्ष कर	608.70
44.	43- अप्रत्यक्ष कर	204.86
45.	44- विनिवेश विभाग	5379.90
46.	46 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	996.18
47.	49 - भारी उद्योग विभाग	168.05
48.	53 -पुलिस	2252.10
49.	57-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	500.00
50.	59- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	278.08
51.	74- विद्युत मंत्रालय	336.24
52.	86 - जहाजरानी विभाग	106.33
53.	87- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	1987.90
54.	89 - अन्तर्िक्ष विभाग	764.67
पूँजीगत - प्रभारित		
55.	35 - राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	1000.94
56.	37 - विनियोग - ऋण की पुनःअदायगी	162413.18
रक्षा सेवाएं		
राजस्व द्व दत्तमत		
57.	24-रक्षा सेवाएं- वायु सेना	564.79
58.	25-रक्षा आयुध कारखाना	553.04
59.	26-रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास	431.46
पूँजीगत द्व दत्तमत		
60.	27-रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3760.20
डाक विभाग		
पूँजीगत- दत्तमत		

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VII-ख
(पैराग्राफ 7.4 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत ₹100 करोड़ अथवा उससे अधिक बचतों को दर्शाती विवरणी
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	बचत की राशि
61.	13- डाक सेवाएं	127.19
रेलवे		
राजस्व ढ़ दत्तमत		
62.	10-प्रचलनात्मक व्यय - ईंधन	150.25
63.	14- निधियों का विनियोग- डी.आर.एफ., डी.एफ.,पी.एफ. तथा सी.एफ.	4301.51
पूजीगत ढ़ दत्तमत		
64.	16 -सम्पत्ति- अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थापन -पूजीगत	2020.71
65.	16 - सम्पत्ति - अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थान -रेलवे निधि	2815.59
66.	16 - सम्पत्ति - अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थान - रेलवे सुरक्षा निधि	649.98
योग		260295.19

परिशिष्ट-VII-ग

(पैराग्राफ 7.5 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों की
विवरणी
(₹ करोड़ में)

अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	वर्ष	वर्ष के दौरान बचतें
सिविल		
राजस्व (दत्तमत)		
5- नाभिकीय ऊर्जा योजनाएं	2007-08	709.46
	2008-09	520.94
	2009-10	417.46
15-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2007-08	238.62
	2008-09	257.57
	2009-10	883.56
17- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	2007-08	495.87
	2008-09	276.69
	2009-10	225.61
31-विदेश मंत्रालय	2007-08	164.43
	2008-09	185.62
	2009-10	279.72
33 – वित्तीय सेवाएं विभाग	2007-08	1224.47
	2008-09	922.66
	2009-10	1872.72
35 – राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	2007-08	1481.30
	2008-09	2662.90
	2009-10	5708.01
46 – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2007-08	1467.46
	2008-09	1474.84
	2009-10	603.64
53 –पुलिस	2007-08	285.07
	2008-09	883.98
	2009-10	285.92
57 – स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	2007-08	2668.29
	2008-09	4906.88
	2009-10	4767.74
58-उच्चतर शिक्षा विभाग	2007-08	2952.13
	2008-09	185.14
	2009-10	1552.60
62 – विधि एवं न्याय	2007-08	309.78
	2008-09	159.84
	2009-10	243.48
64-सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	2007-08	103.14
	2008-09	136.36
	2009-10	335.07
69-पंचायती राज मंत्रालय	2007-08	1082.04
	2008-09	788.10
	2009-10	1003.89
74-विद्युत मंत्रालय	2007-08	576.21
	2008-09	252.86
	2009-10	2325.67

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VII-ग

(पैराग्राफ 7.5 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों की
विवरणी
(₹ करोड़ में)

अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	वर्ष	वर्ष के दौरान बचतें
86-जहाजरानी मंत्रालय	2007-08	210.92
	2008-09	252.46
	2009-10	613.26
87- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2007-08	335.62
	2008-09	171.02
	2009-10	3098.99
92- कपड़ा मंत्रालय	2007-08	147.35
	2008-09	276.59
	2009-10	298.08
राजस्व (प्रभारित)		
34 – विनियोग - ब्याज भुगतान	2007-08	815.53
	2008-09	6321.66
	2009-10	6996.56
35 – राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	2007-08	3748.34
	2008-09	7233.77
	2009-10	4800.00
94- जनजातीय कार्य मंत्रालय	2007-08	150.53
	2008-09	230.10
	2009-10	1112.65
पूँजीगत (दत्तमत)		
20-रक्षा मंत्रालय	2007-08	493.83
	2008-09	438.12
	2009-10	424.64
33-वित्तीय सेवाएं विभाग	2007-08	3710.03
	2008-09	3071.96
	2009-10	2075.00
49-भारी उद्योग विभाग	2007-08	178.56
	2008-09	157.63
	2009-10	168.05
53 – पुलिस	2007-08	1788.67
	2008-09	2225.51
	2009-10	2252.10
86-जहाजरानी विभाग	2007-08	189.74
	2008-09	154.19
	2009-10	106.33
87- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2007-08	175.79
	2008-09	400.07
	2009-10	1987.90
89-अंतरिक्ष विभाग	2007-08	205.85
	2008-09	715.71
	2009-10	764.67
डाक विभाग		
पूँजीगत (दत्तमत)		
डाक विभाग	2007-08	141.79
	2008-09	182.31

परिशिष्ट-VII-ग

(पैराग्राफ 7.5 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों की
विवरणी
(₹ करोड़ में)

अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	वर्ष	वर्ष के दौरान बचतें
	2009-10	127.19
रक्षा सेवाएं		
पूंजीगत (दत्तमत)		
26 – रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2007-08	4417.70
	2008-09	7081.13
	2009-10	3760.20

परिशिष्ट-VII-घ

(पैराग्राफ 7.7 के संदर्भ में)

उन मामलों के उदाहरण जिनमें बचत से अधिक की राशियाँ अभ्यर्पित की गई थीं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/ विनियोग	कुल बचत	अभ्यर्पित राशि
सिविल			
राजस्व – दत्तमत			
1.	14- दूरसंचार विभाग	87.82*	40.21
2.	31- विदेश मंत्रालय	279.72	314.66
3.	35 – राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अन्तरण	5708.01	6358.02
4.	45- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	60.90	61.25
5.	49-भारी उद्योग मंत्रालय	79.39	79.63
6.	103-जल संसाधन मंत्रालय	50.66	63.26
पूंजीगत – दत्तमत			
7.	17-खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	0.13	0.19
8.	19- संस्कृति मंत्रालय	22.88	23.40
9.	73-योजना मंत्रालय	27.47	29.05
डाक सेवाएं			
पूंजीगत – दत्तमत			
10.	13- डाक सेवाएं	127.25	164.14
रक्षा सेवाएं			
राजस्व – दत्तमत			
11.	22- रक्षा सेवाएं द्व थल सेना	2464.11**	838.33
12.	27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत व्यय	3760.20	3851.77

*87.82 करोड़ ₹ का अधिक व्यय

**2464.11 करोड़ ₹ का अधिक व्यय

परिशिष्ट VII-ड
(पैराग्राफ 7.8 के संदर्भ में)

उन मामलों के ब्यौरे जहाँ बचतों के मुख्य भाग 31 मार्च 2010 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2010 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
सिविल						
सिविल - राजस्व (दत्तमत)						
1.	1- कृषि एवं सहकारिता विभाग	155.13	118.08	118.08	76	37.05
2.	3-पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य-पालन विभाग	333.09	317.07	317.07	95	16.02
3.	17 – खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	225.61	223.88	223.88	99	1.73
4.	31 – विदेश मंत्रालय	279.72	314.66 *	314.66	112	34.94*
5.	32 – आर्थिक कार्य विभाग	308.66	213.38	213.38	69	95.28
6.	33- वित्तीय सेवा विभाग	1872.72	1868.29	1868.29	100	4.43
7.	35 – राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	5708.01	6358.02*	6358.02	111	650.01*
8.	42-प्रत्यक्ष कर	158.13	95.45	95.45	60	62.68
9.	46 – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	603.64	363.78	363.78	60	239.86
10.	53 – पुलिस	285.92	शून्य	शून्य	उ.न.	285.92
11.	56- आवासीय एवं शहरी गरीबी उप शमन मंत्रालय	276.21	268.77	268.77	97	7.44
12.	57 – स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	4767.74	4032.70	4032.70	85	735.04
13.	58 – उच्चतर शिक्षा विभाग	1552.60	1369.76	1369.76	88	182.84
14.	59 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	219.75	214.00	214.00	97	5.75
15.	60- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	185.26	82.48	82.48	45	102.78
16.	62 – विधि एवं व्यय	243.48	180.03	180.03	74	63.45
17.	64 – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	335.07	318.19	318.19	95	16.88
18.	73 – योजना मंत्रालय	334.23	311.68	311.68	93	22.55

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट VII-ड
(पैराग्राफ 7.8 के संदर्भ में)

उन मामलों के ब्यौरे जहाँ बचतों के मुख्य भाग 31 मार्च 2010 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2010 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
19.	74 द्रविद्युत मंत्रालय	2325.67	2323.20	2323.20	100	2.47
20.	80 द्वागामीण विकास विभाग	11142.92	11139.37	11139.37	100	3.55
21.	81 - भू संसाधन विभाग	380.57	380.40	380.40	100	0.17
22.	85 द्वाजैव प्रौद्योगिकी विभाग	117.46	114.40	114.40	97	3.06
23.	86 - जहाजरानी विभाग	613.26	545.86	545.86	89	67.40
24.	87 - सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	3098.99	2539.44	2539.44	82	559.55
25.	90 -सांख्यकी एवं कार्यब्रड्डम कार्यान्वयन मंत्रालय	150.04	94.93	94.93	63	55.11
26.	92-कपडा मंत्रालय	298.08	276.77	276.77	93	21.31
27.	97-दादर एवं नागर ह्वेली	718.58	695.53	695.53	97	23.05
28.	98-दमन एवं दीव	178.43	176.92	176.92	99	1.51
राजस्व - प्रभारित						
29.	34 - विनियोग- ब्याज भुगतान	6996.56	6744.65	6744.65	96	251.91
30.	35 - राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	4800.00	4800.00	4800.00	100	-
31.	94- जनजातीय कार्य मंत्रालय	1112.65	1112.65	1112.65	100	-
पूँजीगत (दत्तमत)						
32.	20-रक्षा मंत्रालय	424.64	406.10	406.10	96	18.54
33.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	129.44	129.39	129.39	100	0.05
34.	32-आर्थिक कार्य विभाग	12280.57	12279.77	12279.77	100	0.08
35.	33-वित्तीय सेवा विभाग	2075.00	2075.00	2075.00	100	-
36.	36-सरकारी कर्मचारियों को कर्जे आदि	120.14	88.81	88.81	74	31.33
37.	42- प्रत्यक्ष कर	608.70	608.29	608.29	100	0.41
38.	43 - अप्रत्यक्ष कर	204.86	171.32	171.32	84	33.54

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट VII-ड
(पैराग्राफ 7.8 के संदर्भ में)

उन मामलों के ब्यौरे जहाँ बचतों के मुख्य भाग 31 मार्च 2010 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2010 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
39.	44- विनिवेश विभाग	5379.90	5379.90	5379.90	100	-
40.	46 – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	996.18	966.03	966.03	100	0.15
41.	49 – भारी उद्योग विभाग	168.05	168.01	168.01	100	0.04
42.	53 – पुलिस	2252.10	1519.52	1519.52	67	732.58
43.	57 – स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	500.00	500.00	500.00	100	-
44.	59- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	278.08	277.86	277.86	100	0.22
45.	74 – विद्युत मंत्रालय	336.24	333.59	333.59	99	2.65
46.	86 – जहाजरानी विभाग	106.33	102.25	102.25	96	4.08
47.	87 – सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	1987.90	1778.42	1778.42	89	209.48
पूँजीगत (प्रभारित)						
48.	35 – राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	1000.94	1000.94	1000.94	100	-
49.	37 – विनियोग- ऋण की पुनःअदायगी	162413.18	4336.99	4336.99	2	158076.19
रक्षा सेवाएं						
राजस्व (दत्तमत)						
50.	26 – रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन	431.46	408.18	408.18	95	23.28
पूँजीगत (दत्तमत)						
51.	27 – रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3760.20	3851.77 *	3851.77	102	--

* अभ्यर्पित राशि बचतों से अधिक थी परन्तु आधिक्य के लिए गणना नहीं की गई थी क्योंकि अन्तिम व्यय अनुमोदित प्रावधान के अन्दर था।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट VII-च
(पैराग्राफ 7.11 के संदर्भ में)

मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि अनुपयोगिता के कारण अविवेकपूर्ण थे
(₹ एक करोड़ तथा अधिक की राशि के पुनर्विनियोग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचतें
सिविल					
1.	1- कृषि एवं सहकारिता विभाग	2401-फ़सल पालन	2401.00.107.01-पौध सुरक्षा बचाव एवं भण्डारण निदेशालय	2.40	3.36
2.	4-परमाणु ऊर्जा	3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401.00.004.01-भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	4.30	37.26
3.	-वही -	4861-परमाणु ऊर्जा उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	4861.60.204.01-रेडियशन एवं आईसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड	3.85	5.32
4.	14-दूरसंचार विभाग	3275-अन्य संचार सेवाएं	3275.00.101.01-वायरलैस योजना एवं समन्वय	7.84	11.12
5.	16-उपभोक्ता कार्य विभाग	3456-सिविल आपूर्ति	3456.00.001.02-उपभोक्ता संरक्षण कक्ष	4.05	8.73
6.	19-संस्कृति मंत्रालय	2205-कला एवं संस्कृति	2205.00.107.20-बड़े शहरों में संग्रहालयों का आधुनिकीकरण	1.60	2.50
7.	20-रक्षा मंत्रालय	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	2052.00.092.03-रक्षा संपदा संगठन	1.19	2.63
8.	-वही -	2075- विविध समान्य सेवाएं	2075.00.108.01-कैन्टीन सेवा निदेशालय	6.19	61.47
9.	21-रक्षा पेंशन	2071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071.02.103.03 - अवकाश नकदीकरण	1.15	33.57
10.	29- भू विज्ञान मंत्रालय	5403-समुद्र विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय	5403.00.800.02 - एकीकृत एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंधन (आई सी ए एम ए एम)	1.50	1.51
11.	31-विदेश मंत्रालय	2061-विदेश कार्य	2061.00.105.01-केन्द्रीय पासपोर्ट प्रवासी संगठन	10.07	21.89
12.	34-ब्याज भुगतान	2049-ब्याज भुगतान	2049.03.108.06-डाक बीमा एवं जीवन वार्षिकी निधि (प्रभारित)	220.00	278.95
13.	-वही -	-वही -	2049.03.111.01-सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारियों हेतु जमा पर ब्याज योजना (प्रभारित)	2.00	5.47
14.	-वही -	-वही -	2049.03.101.01-रेलवे मूल्यहास आरक्षित निधि (प्रभारित)	37.06	74.27

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट VII-च

(पैराग्राफ 7.11 के संदर्भ में)

मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि अनुपयोगिता के कारण अविवेकपूर्ण थे
(₹ एक करोड़ तथा अधिक की राशि के पुनर्विनियोग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचतें
15.	37-ऋण का पुनर्भुगतान	6001-केन्द्रीय सरकार के आंतरिक ऋण	6001.00.115-14 दिवसीय खजाना बिल	156653.18	160945.82
16.	43-अप्रत्यक्ष कर	2038- संघ उत्पाद शुल्क	2038.00.101.05-प्रधान लेखा नियंत्रक का भुगतान एवं लेखा कार्यालय (केन्द्रीय उत्पाद), सी.बी.इ.सी.	4.09	4.50
17.	-वही -	2216-आवासीय	2216.01.700.03-अनुरक्षण एवं मरम्मत	1.48	2.59
18.	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.001.03-स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय	7.76	10.11
19.	-वही -	2211-परिवार कल्याण	2211.00.001.02-विधान सभा रहित संघ शासित क्षेत्रों में व्यय	1.72	4.14
20.	-वही -	-वही -	2211.00.101.01- विधान सभा रहित संघ शासित क्षेत्रों में व्यय	1.55	2.18
21.	-वही -	-वही -	2211.00.106.01-मुख्यालय के कार्यकलाप	1.00	2.98
22.	-वही -	-वही -	2211.00.106.10-सूचना, शिक्षा एवं संचार - आर.सी.एच. परियोजना	11.75	11.86
23.	-वही -	4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4210.01.103.04-डिस्पेंसरी /अस्पतालों की स्थापना	3.96	4.01
24.	49-भारी उद्योग विभाग	6858-अभियांत्रिकी उद्योगों हेतु ऋण	6858.60.190.12- इन्स्ट्रुमेंटेशन लि. को ऋण	38.36	38.36
25.	51-गृह मंत्रालय	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070.00.800.14-आसूचना ब्यूरो	3.50	5.71
26.	53-पुलिस	2055-पुलिस	2055.00.114.01-अंतर्राज्यीय पुलिस वायरलैस योजना	1.33	1.55

परिशिष्ट VII-च

(पैराग्राफ 7.11 के संदर्भ में)

मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि अनुपयोगिता के कारण अविवेकपूर्ण थे
(₹ एक करोड़ तथा अधिक की राशि के पुनर्विनियोग)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	(₹ करोड़ में) पुनर्विनियोग के उपरान्त उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचते
27.	54-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	3601-राज्य सरकार को अनुदान सहायता	3601.01.146.01-1984 के दंगों में वाणिज्यिक/ औद्योगिक सम्पत्ति की हानि, सम्पत्ति की हानि मृत्यु, चोटों हेतु क्षतिपूर्ति में वृद्धि	12.00	14.71
28.	58-उच्चतर शिक्षा विभाग	2202-सामान्य शिक्षा	2202.05.001.04-भारतीय भाषाओं का केन्द्रीय संस्था (भारतीय भाषा संस्थान) मैसूर एवं क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	3.56	3.73
29.	-वही -	2203-तकनीकी शिक्षा	2203.00.112.17-राष्ट्रीय फोन्ड्री एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, रंची	3.43	5.00
30.	60-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2230- श्रम एवं रोजगार	2230.01.109.04-स्वास्थ्य	2.55	5.81
31.	64-सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	2851-ग्राम लघु उद्योग	2851.00.102.80-डाटाबेस का उन्नयन	1.09	3.03
32.	87-सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय	3451-सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451.00.090.11- सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय	4.96	16.15
33.	101-लोक निर्माण कार्य	2059- लोक निर्माण कार्य	2059.80.001.02-निष्पादन	5.76	6.55
34.	-वही -	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4059.01.051.01-भवन	3.60	7.63
35.	93-पर्यटन मंत्रालय	3452-पर्यटन	3452.01.102.07-गन्तव्य एवं सर्किट हेतु उत्पाद/ अवसंरचना विकास	8.00	12.83
36.	103-जल संसाधन मंत्रालय	2701-बड़ी मध्यम सिंचाई	2701.80.800.13-जल संसाधन विकास योजना की जांच	2.00	4.99
37.	-वही -	2702-लघु सिंचाई	2702.02.005.16-भू जल प्रबंधन एवं नियमन	1.98	3.06
डाक विभाग					
38.	13- डाक सेवाएं	3201- डाक सेवाएं	3201.02.104.01- अनुसंधान एवं विकास	2.09	2.68

परिशिष्ट VII-च

(पैराग्राफ 7.11 के संदर्भ में)

मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि अनुपयोगिता के कारण अविवेकपूर्ण थे
(₹ एक करोड़ तथा अधिक की राशि के पुनर्विनियोग)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	(₹ करोड़ में) पुनर्विनियोग के उपरान्त उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचतें
रक्षा सेवाएं					
39.	22-रक्षा सेवाएं - थल सेना	2076-रक्षा सेवाएं - थल सेना	2076.00.800-अन्य व्यय	42.57	70.93
40.	24 - रक्षा सेवाएं - वायु सेना	2078 - रक्षा सेवाएं - वायु सेना	2078.00.105 - परिवहन	9.76	25.99
41.	25 - रक्षा आयुध	2079-रक्षा आयुध	2079.00.110-भण्डार	109.39	203.99
42.	27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076.01.050 -भूमि	6.75	17.79
43.	-वही -	-वही -	4076.05.111 - निर्माण कार्य	1.50	1.82
योग				157253.87	

परिशिष्ट VII-छ

(पैराग्राफ 7.12 के संदर्भ में)

मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जोकि उप-शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण अविवेकपूर्ण थे
(केवल एक करोड़ रु से अधिक की राशि के पुनर्विनियोग के मामलों का उल्लेख किया गया है)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	लघु/उप-शीर्ष	लघु/उप-शीर्ष से पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त लघु/उप-शीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य की राशि
सिविल					
1.	4-परमाणु ऊर्जा	2852-उद्योग	2852.09.202.01-ईंधन निर्माण सुविधाएं	3.00	8.23
2.	11-वाणिज्य विभाग	3453-विदेशी व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन	3453.00.102.01-व्यापार आयुक्त	5.93	6.07
3.	21- रक्षा पेंशन	2071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071.02.101.01- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	46.81	8175.22
4.	-वही -	-वही -	2071.02.103.01- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	1.15	561.65
5.	34-विनियोग - ब्याज भुगतान	2049- ब्याज भुगतान	2049.03.115-अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज (प्रभारित)	3.00	28.92
6.	39-पेंशन	2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071.01.101.01-साधारण पेंशन	18.04	412.63
7.	53-पुलिस	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4055.00.203.02-भारत तिब्बत सीमा पुलिस	2.53	53.31
8.	54-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235.60.107.03-केन्द्रीय सरकार पेंशन	114.00	161.01
9.	95-अण्डमान निकोबार एवं द्वीप समूह	3054 - सड़क एवं पुल	3054.04.337.01- जिला सड़कें	1.06	2.92
डाक विभाग					
10.	13- डाक सेवाएं	3201 - डाक सेवाएं	3201.07.104.01- उपदान	23.00	31.70
रक्षा सेवाएं					
11.	23-रक्षा सेवाएं - जल सेना	2077- जल सेना	2077.00.105 - परिवहन	10.00	17.54
योग				228.52	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VII - ज
(पैराग्राफ 7.14 के संदर्भ में)
मूल तथा अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान	राजस्व		पूंजीगत					योग
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत		प्रभारित			
				पूंजीगत	कर्ज एवं पेशगियां	लोक ऋण	पूंजीगत	कर्ज एवं पेशगियां	
2003-04	मूल	208340	143833	19634	7086	367079	36	25763	771771
	अनुपूरक	15888	4744	1862	1517	21702	4	1115	46832
	प्रतिशतता	8	3	9	21	6	11	4	6
2004-05	मूल	215854	151300	23148	14669	342119	32	28899	776021
	अनुपूरक	22539	78	599	1744	180366	1	1041	206368
	प्रतिशतता	10	-	3	12	53	3	4	27
2005-06	मूल	260249	164936	25972	6302	601477	53	1179	1060168
	अनुपूरक	34784	612	1101	1643	420204	4	4674	463022
	प्रतिशतता	13	-	4	26	70	8	396	44
2006-07	मूल	310212	176989	33434	5517	1098308	80	5174	1629714
	अनुपूरक	90637	5146	8800	577	349582	6	702	455450
	प्रतिशतता	29	3	26	10	32	8	14	28
2007-08	मूल	360510	195865	75302	4831	1611646	4322	238	2252714
	अनुपूरक	89998	16937	17730	2744	62573	35	3134	193151
	प्रतिशतता	25	9	24	57	4	1	1317	9
2008-09	मूल	437377	243991	38329	5019	1745575	38	5073	2475402
	अनुपूरक	285013	113	10158	4419	442593	7	3162	745465
	प्रतिशतता	65	-	27	88	25	18	62	30
2009-10	मूल	667430	268467	52991	8667	1880843	42	6642	2885082
	अनुपूरक	81044	49	17953	2621	1367362	1	2200	1471230
	प्रतिशतता	12	-	34	30	73	2	33	51

परिशिष्ट VII-अ

(पैराग्राफ 7.15 के संदर्भ में)

लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लघु शीर्ष/ उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
सिविल							
1.	1- कृषि एवं सहकारिता विभाग	2435.01.102.01- एगमार्क ग्रेडिंग सुविधा का सुदृढीकरण	17.43	1.17	17.22	1.38	मितव्ययता उपायों के कारण
2.	4-परमाणु ऊर्जा	2852.09.200.05- सामान्य सेवा संस्था तारापुर	24.72	2.13	23.64	3.21	पेट्रोल/ डीजल आदि के प्रति निधियों की कम आवश्यकता
3.	-वही -	3401.00.004.07-टाटा मैमोरियल सेन्टर	198.60	6.00	196.09	8.51	निर्माण कार्यों पर कम व्यय
4.	-वही -	3401.00.004.09- श्रीनगर एवं गुलमर्ग में अनुसंधान सुविधाएं	7.41	1.41	7.19	1.63	वेतन एवं भत्ते, विज्ञान जर्नल तथा कलपुर्जों एवं सहायक कलपुर्जों पर कम व्यय
5.	-वही -	3401.00.200.01-भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	153.88	7.46	145.34	16.00	वेतन एवं भत्ते, विज्ञान जर्नल तथा कलपुर्जों एवं सहायक कलपुर्जों पर कम व्यय
6.	-वही -	3401.00.800.07- परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति मुम्बई	47.72	1.92	47.54	2.10	नियोजित परियोजनाओं की प्रगति पर आधारित कम आवश्यकता
7.	-वही -	5401.00.400.02- परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रोन केन्द्र	61.00	6.86	55.07	12.79	सिविल कार्यों को शुरू किए जाने में विलम्ब, विदेशी व्यय पर कम व्यय तथा उपकरणों का गैर अभिग्रहण आदि
8.	-वही -	5401.00.400.03- ए.एम.डी. प्रयोगशालाएं तथा अन्य नियोजित योजनाएं	70.40	11.83	67.57	14.66	उपभोगनीय एवं कलपुर्जों के अभिग्रहण पर कम व्यय तथा निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति आदि
9.	14-दूरसंचार विभाग	2071.01.115.01- साधारण पेंशन	5.50	1.74	4.69	2.55	अनुमान की अपेक्षा दावों की कम प्राप्ति
10.	32-आर्थिक कार्य मंत्रालय	5466.00.207.02-मूल्य दायित्व का अनुसंधान (एम.ओ.वी.)	3653.93	9136.25	3653.93	9136.25	एस.डी.आर. की शर्तों के अनुसार करंसी की कीमत को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी निधि द्वारा अतिरिक्त निधियों की कम आवश्यकता के कारण
11.	37-ऋण का पुनर्भुगतान	6001.00.105.06- अफ्रीका विकास निधि (प्रभारित)	8.98	9.80	8.76	10.02	प्रतिभूतियों के कम जारी किए जाने के कारण बचत
12.	-वही -	6001.00.106.15- 9% राहत बंधपत्र, 1987	1.26	1.05	0.20	2.11	बंधपत्र धारकों द्वारा कम दावों को प्रमुखता देना
13.	-वही -	6001.00.106.220- 8.5% राहत बंधपत्र, 2001 (प्रभारित)	79.34	1.23	26.19	54.38	बंधपत्र धारकों द्वारा कम दावों को प्रमुखता देने के कारण बचत

परिशिष्ट VII-अ

(पैराग्राफ 7.15 के संदर्भ में)

लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लघु शीर्ष/ उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
14.	-वही -	6001.00.106.24 – 8% बचत बंधपत्र, 2002	62.58	40.96	61.95	41.59	बंधपत्र धारकों द्वारा कम दावों को प्रमुखता देने के कारण बचत
15.	43- अप्रत्यक्ष कर	2038.00.101.01- आयुक्तालय	1825.66	15.57	1802.88	38.35	एक प्रतिशत वर्धनीय राजस्व अर्जन के अंतर्गत संगठनात्मक कार्यकुशलता हेतु कम प्रस्ताव, रिक्त पदों का न भरे जाना आदि।
16.	51-गृह मंत्रालय	2070.00.119.03-अन्य योजनाएं	18.85	1.32	12.95	7.22	खाली पदों की गैर भर्ती चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, कम विदेशी यात्राओं तथा मितव्ययी उपाय।
17.	54- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	2245.80.102.14- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल	223.57	7.90	178.05	53.42	एन.डी.आर इकाईयों से कम दावों की प्राप्ति तथा मितव्ययी उपाय।
18.	71-कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	2052.00.090.05- कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	113.82	3.70	93.74	23.78	समग्र निधि का जारी न किया जाना, संस्कृति स्कूल को सहायता अनुदान, कल्याण समितियों को कम जारी किया जाना तथा सं.शा.क्षे. की गैर प्राप्ति।
19.	100-शहरी विकास विभाग	4216.01.700.34- रोजगार	0.60	1.38	0.59	1.39	क्लाइंट विभाग द्वारा संस्वीकृतियों की पर्याप्त संख्या की गैर प्राप्ति।
20.	101-लोक निर्माण कार्य	2059.80.001.01- निर्देशन	116.32	4.31	115.45	5.18	खाली पदों की गैर भर्ती के कारण
रक्षा सेवाएं							
21.	23-रक्षा सेवाएं - जल सेना	2077.00.104-असैनिकों के वेतन एवं भत्ते (प्रभारित)	1.00	2.50	0.82	2.68	अदालती मामलों की संख्या को अनुमान से कम अंतिम रूप दिया जाना।

परिशिष्ट VII-अ

(पैराग्राफ 7.16 के संदर्भ में)

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण

(₹ दस करोड़ और अधिक की बचत और जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनाता है)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
सिविल					
अनुदान सं. 2 - कृषि अनुदान एवं शिक्षा विभाग					
1.	2415.80.798.03- अन्य कार्यक्रम	21.00	4.71	16.29	78
अनुदान सं. 3 - पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य-पालन विभाग					
2.	2403.00.101.25- एविअन इनफ्लून्जा के नियंत्रण तथा समावेशन की तैयारी	54.82	12.27	42.55	78
3.	2403.00.104.01- भेड़ पालन एवं विकास	26.70	11.34	15.36	58
4.	2405.00.103.05- अपतट मत्स्य पालन	35.97	18.94	17.03	47
अनुदान सं. 4-परमाणु ऊर्जा					
5.	2852.09.202.04-फास्ट रियक्टर सुविधा	55.00	17.47	37.53	68
6.	2852.09.210.01-टी.पी. - एच.डब्ल्यू.बी (ओ. एण्ड एम.)	15.00	0.02	14.98	100
अनुदान सं. 8 - फार्मास्यूटीकल विभाग					
7.	2852.05.206.10-फार्मास्यूटीकल निर्यात उन्नयन योजना (पी.ई.पी.एस.)	48.50	18.63	29.87	62
अनुदान सं.9-नागरिक उड्डयन मंत्रालय					
8.	5053.80.001.01 महानिदेशक नागरिक उड्डयन	23.00	12.18	10.82	47
9.	5053.80.800.01- नागरिक उड्डयन सुरक्षा	13.80	0.52	13.28	96
अनुदान सं.10- वाणिज्य मंत्रालय					
10.	3453.00.800.33-मार्केट एक्सस पहलकदमी - निर्यात अध्ययन	124.00	63.71	60.29	49
अनुदान सं.12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग					
11.	4875.60.190.03-दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम	50.00	7.00	43.00	86
अनुदान सं. 15- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग					
12.	2852.07.202.60-इलैक्ट्रोनिक्स गवर्नेन्स	810.00	328.05	481.95	60
13.	2852.07.202.83-राष्ट्रीय जानकारी नेटवर्क	540.00	240.00	300.00	56
अनुदान सं. 16- उपभोक्ता कार्य विभाग					
14.	3475.00.106.08- वेट्स एवं मैजर्स अवसंरचना का सुदृढीकरण	14.72	4.54	10.18	69
अनुदान सं. 17-खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग					
15.	2408.01.800.01-चीनी के बफर स्टॉक के अनुरक्षण हेतु आर्थिक सहायता	300.00	123.94	176.06	59
अनुदान सं.19-संस्कृति मंत्रालय					
16.	2205.00.107.05-विक्टोरिया मैमोरियल हॉल कोलकाता	24.65	7.69	16.96	69
17.	2205.00.107.09-भारतीय संग्रहालय कोलकाता	35.25	14.48	20.77	59

परिशिष्ट VII-ज

(पैराग्राफ 7.16 के संदर्भ में)

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण

(₹ दस करोड़ और अधिक की बचत और जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनाता है)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
18.	2205.00.107.19-साईस सिटीज	19.28	8.50	10.78	56
अनुदान सं.28-उत्तर - पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय					
19.	3601.05.104.01-विशेष विकास पैकेज	50.00	3.15	46.85	94
अनुदान सं. 30- पर्यावरण और वन मंत्रालय					
20.	3435.04.104.04-राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम	15.50	1.52	13.98	90
अनुदान सं. 31- विदेश मंत्रालय					
21.	2061.00.798.02-अन्य राष्ट्रीय संगठन	21.48	9.86	11.62	54
22.	2061.00.798.07-नालनन्दा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	50.00	0.24	49.76	100
23.	3605.00.101.24- निवेश उन्नयन तथा प्रचार कार्यक्रम	16.40	0.69	15.71	96
24.	3605.00.101.25- सेन्द्रल एशिया का सहायता	48.00	7.25	40.75	85
25.	3605.00.101.33-अफगानिस्तान को सहायता	474.05	223.39	250.66	53
अनुदान सं.32-आर्थिक कार्य विभाग					
26.	5475.00.800.12 – अवसंरचना विकास हेतु सहायता	150.00	45.85	104.15	69
अनुदान सं. 33-वित्तीय सेवा विभाग					
27.	2235.04.101.03-कृषिय ऋण उन्मूलन तथा ऋण राहत योजना 2008 के प्रति लैंडिंग संस्थानों को ब्याज का भुगतान	2151.00	458.85	1692.15	79
अनुदान सं. 34-विनियोग - ब्याज भुगतान					
28.	2409.01.103.01-खजाना बिलों पर छूट - 91 दिवसीय बिल	4350.00	2623.35	1726.65	40
29.	2049.01.115- अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज	438.00	93.41	344.59	79
30.	2049.01.126- बैंकों में बाजार स्थिरीकरण धन जमा योजना पर प्रदत्त ब्याज	26615.69	11829.94	14785.75	56
31.	2049.03.117- परिभाषित अंशदान योजना पर ब्याज	50.00	4.83	45.17	90
अनुदान सं.35-राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण					
32.	3601.02.101.19-गतिमान विद्युत विकास कार्यक्रम	350.00	156.06	193.94	55
33.	3601.02.101.24- किशोर बालिकाओं के लिए पोषाहार कार्यक्रम (एन.पी.ए.जी.)	162.77	49.55	113.22	70
34.	3601.02.101.27-राष्ट्रीय इ-गवर्नेन्स एक्शन प्लान	469.37	117.69	351.68	75
35.	3601.02.101.36-जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	11618.62	6124.02	5494.60	47
36.	3601.02.101.42- वन आच्छादन के पुनरुद्धार एवं जीर्णोद्धार के त्वरित कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	500.00	81.66	418.34	84
अनुदान सं.36-सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि					
37.	7610.00.201.01-मंत्रालय एवं संघ शासित क्षेत्र प्रशासन	129.17	73.83	55.34	43
अनुदान सं. 37- विनियोग - ऋण पुनर्भुगतान					
38.	6001.00.105.02-अंतर्राष्ट्रीय मॉनीटरी फंड	14955.26	2218.00	12737.26	85
39.	6001.00.106.28- 7%बचत बंधपत्र, 2002 (गैर -कर योग्य)	657.00	196.83	460.17	70

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट VII-ज

(पैराग्राफ 7.16 के संदर्भ में)

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण

(₹ दस करोड़ और अधिक की बचत और जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनाता है)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
अनुदान सं. 39- पेंशन					
40.	2071.01.101.04- साधारण पेंशन (ए.आई.एस.)	50.00	13.61	36.39	73
अनुदान सं.41-राजस्व विभाग					
41.	2875.01.107.02-ओपियम का क्रय	82.16	12.76	69.40	84
42.	3601.01.113.05-वैट संबंधित व्यय हेतु राज्यों को अनुदान	418.50	149.00	269.50	64
अनुदान सं. 42-प्रत्यक्ष कर					
43.	4059.01.800.01- पहले से तैयार आवासों का अभिग्रहण	602.00	7.42	594.58	99
अनुदान सं. 43- अप्रत्यक्ष कर					
44.	4047.00.037.03-रोकथाम एवं अन्य कार्य	220.00	78.65	141.35	64
45.	4059.01.800.01- पहले से तैयार आवासों का अभिग्रहण	50.00	6.05	43.95	88
46.	4216.01.108-सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन	19.80	0.30	19.50	98
अनुदान सं.45- खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय					
47.	2405.00.103.06- गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के प्रचालन	134.80	71.44	63.36	47
अनुदान सं. 46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय					
48.	2210.01.800.26- निरीक्षण समिति के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर किया जाने वाला व्यय	50.00	30.00	20.00	40
49.	2210.05.105.26-कैंसर अनुसंधान	86.05	39.84	46.21	54
50.	2210.06.101.12-आयोडिन कमी विकलांगता नियंत्रण कार्यक्रम	32.70	19.62	13.08	40
51.	2210.06.106.01-बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिन्डी, चैन्नई	17.50	4.74	12.76	73
52.	2210.06.800.24-केन्द्रीय योजना के अंतर्गत नई पहल कदमियां	83.49	18.81	64.68	77
53.	2210.06.800.26-ट्रामा सैन्टर की क्षमता बढ़ाने हेतु सहायता	107.00	52.66	54.34	51
54.	2210.06.800.30-जिला अस्पताल	36.00	16.00	20.00	56
55.	2210.06.800.31-स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधन	47.00	17.23	29.77	63
56.	2211.00.003.02-जनसंख्या विज्ञान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई	98.60	14.30	84.30	85
57.	2211.00.108.08-अमरीकी सहायता परियोजना - एस.आई.एफ.पी.एस.ए., उ.प्र., लखनऊ	50.00	11.96	38.04	76
58.	2211.00.200.04-गर्भनिरोधक का सामाजिक विपणन	38.50	21.86	16.64	43
59.	2211.00.800.14-प्रबंधन सूचना प्रणाली	64.52	35.21	29.31	45
60.	3601.04.240.03-एफ पी सामग्री की निशुल्क आपूर्ति	60.00	34.87	25.13	42
61.	3601.04.263.04-राष्ट्रीय वायुजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (शहरी)	19.54	3.25	16.29	83
62.	4210.03.105.05-लेडी हॉर्डिंग मैडिकल कॉलेज तथा श्रीमति सुचेता कृपलानी अस्पताल	40.00	--	17.45	44

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट VII-ज

(पैराग्राफ 7.16 के संदर्भ में)

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण

(₹ दस करोड़ और अधिक की बचत और जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनाता है)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
63.	4216.01.700.51-एम्स की तरह अतिविशिष्ट अस्पताल-सह-शिक्षा संस्थानों कर स्थापना तथा राज्य सरकारी अस्पतालों का उन्नयन	180.00	81.75	98.25	55
अनुदान सं.47- आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग(आयुष)					
64.	2210.02.001.03- आयुष पर अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम/सैमीनार कार्यशाला पर व्यय	19.00	4.13	14.87	78
65.	2210.02.200.23- आयुष औषधालयों हेतु योजना	49.50	24.00	25.50	52
66.	2210.05.101.12-आयुष संस्थानों/महाविद्यालयों का विकास एवं उन्नयन	40.00	20.00	20.00	50
अनुदान सं. 49- भारी उद्योग विभाग					
67.	2852.06.103.28- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु पी.एस.इ. को बैंक से वित्तीय सहायता पर ब्याज सहायता	20.29	10.27	10.02	49
अनुदान सं. 51-गृह मंत्रालय					
68.	3601.02.101.46-राज्य में अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकरण	33.00	13.40	19.60	59
अनुदान सं. 52-कैबिनेट					
69.	2013.00.108.01-कैबिनेट मंत्री	135.00	70.27	64.73	48
70.	2013.00.108.02-राज्य मंत्री	25.76	11.28	14.48	56
71.	4055.00.206.03- सामान्य	68.00	34.96	33.04	49
अनुदान सं. 53-पुलिस					
72.	3601.02.117.01-आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसंरचना	100.00	30.00	70.00	70
73.	4055.00.201.04-आधुनिकीकरण	44.57	25.50	19.07	43
74.	4055.00.213.05-आधुनिकीकरण	70.09	24.54	45.55	65
75.	4055.00.800.02-केन्द्रीय फोरेसिक विज्ञान प्रयोगशाला	36.33	14.27	22.06	61
76.	4055.00.800.08-भारत म्यनमार सीमा निर्माण कार्य	36.00	14.04	21.96	61
अनुदान सं. 54-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय					
77.	2235.60.200.12- आतंकवाद तथा सामप्रदायिक हिंसा के शिकार को सहायता हेतु केन्द्रीय योजना	47.00	4.56	42.44	90
78.	2245.80.102.04-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	88.06	36.92	51.14	58
79.	3601.01.343.06-जम्मू एवं कश्मीर राहत एवं पुनर्वास	210.00	120.00	90.00	43
अनुदान सं. 58-उच्चतर शिक्षा विभाग					
80.	2202.80.107.18-महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के हेतु छात्रवृद्धि	99.00	58.85	40.15	41
81.	2203.00.105.04- गणवत्ता सुधार कार्यक्रम हेतु अनुदान - सामुदायिक पॉलिटिकनिक्स	141.30	48.14	93.16	66
82.	2203.00.105.13-नई पॉलिटिकनिक्स की स्थापना/ मौजूदा का उन्नयन	45.00	16.30	28.70	64
83.	2203.00.105.14-पॉलिटिकनिक्स में महिला छात्रावास	90.00	41.80	48.20	54

परिशिष्ट VII-ज

(पैराग्राफ 7.16 के संदर्भ में)

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण

(₹ दस करोड़ और अधिक की बचत और जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनाता है)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
84.	2203.00.112.43- नए भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना (आई आई एम)	20.00	4.00	16.00	80
अनुदान सं. 59 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय					
85.	6221.00.101.01- प्रसार भारती	355.84	134.85	220.99	62
अनुदान सं. 60 - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय					
86.	2230.01.797.03-आयरन, मैगनीज, करौम खनिज निधि को अंतरण	25.00	10.72	14.28	57
87.	2230.01.797.04-लाइन्सटोम एवं डोलोमाइट खनन निधि को अंतरण	25.00	6.09	18.91	76
अनुदान सं. 62- न्याय एवं विधि					
88.	2014.00.800.09- जिला एवं अधिनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण	109.50	62.36	47.14	43
89.	2015.00.102.01-राज्य/स.शा.क्षे. सरकारों को प्रतिपूर्ति	80.00	12.01	67.99	85
90.	2015.00.103.01-राज्य/स.शा.क्षे. सरकारों को प्रतिपूर्ति	140.00	84.33	55.67	40
91.	2015.00.108.01-राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति	43.00	14.39	28.61	67
92.	4070.00.001.04-आयकर अपीलीय ट्रब्यूनल हेतु भूमिका अधिग्रहण एवं भवन निर्माण	40.87	0.08	40.79	100
अनुदान सं. 67- नवीन एवं पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय					
93.	2810.00.105.02-अंतर्राष्ट्रीय संबंध	15.01	4.83	10.18	68
अनुदान सं. 68-भारतीय ओवरसीज कार्य मंत्रालय					
94.	4059.60.051.23-प्रवासी भारतीय केन्द्र	20.00	2.00	18.00	90
अनुदान सं. 73- योजना मंत्रालय					
95.	3454.02.206.01-भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	92.79	18.71	74.08	80
96.	3475.00.800.52-योजना हेतु 50वीं वर्षीय पहलकदमी	30.71	9.84	20.87	68
97.	3475.00.800.71-सरकार में मूल्यांकन क्षमता सुदृढीकरण	12.00	1.68	10.32	86
98.	5475.00.112.38-भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	27.21	6.96	20.25	74
अनुदान सं. 74 – विद्युत मंत्रालय					
99.	2801.80.800.19- ए पी डी आर पी परियोजना हेतु परामर्शी प्रभार	30.00	10.52	19.48	65
100.	2801.80.800.26- त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए पी डी आर पी)	80.00	1.26	78.74	98
101.	2801.80.800.27- ऊर्जा संरक्षण	56.00	18.00	38.00	68
अनुदान सं. 81- भू संसाधन विभाग					
102.	2501.05.101.08- व्यावसायिक सहायता एवं अन्य कार्यक्रम	82.50	19.30	63.20	77
103.	2506.00.001.01-राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	45.80	8.04	37.76	82

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट VII-ज

(पैराग्राफ 7.16 के संदर्भ में)

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण

(₹ दस करोड़ और अधिक की बचत और जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनाता है)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
अनुदान सं.83-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग					
104.	3425.60.200.45-आधारभूत अनुसंधान हेतु वृहत सुविधाएं	40.00	19.99	20.01	50
अनुदान सं.84- विज्ञान एवं औद्योगिक विकास अनुसंधान					
105.	3425.60.200.03-प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन विकास एवं उपयोगिता कार्यक्रम हेतु अनुदान सहायता	40.50	14.67	25.83	64
अनुदान सं. 86- जहाजरानी मंत्रालय					
106.	2852.06.102.10-जहाज निर्माण आर्थिक सहायता	175.00	102.15	72.85	42
अनुदान सं.87- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग					
107.	3055.00.004.20 -सड़क सुरक्षा	79.00	21.04	57.96	73
108.	3055.00.004.21 - राष्ट्रीय डाटाबेस नेटवर्क	56.00	0.02	55.98	100
109.	5054.01.052.02 - मशीनरी एवं उपकरण	15.00	0.35	14.65	98
अनुदान सं. 88 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय					
110.	2225.01.277.18 - अनुसूचित जाति हेतु अतिविशिष्ट शिक्षा	19.00	8.26	10.74	57
111.	2225.01.800.07-अनुसूचित जाति स्वेच्छिक संगठनों को सहायता	34.00	11.23	22.77	67
112.	2225.01.800.27-सफाई वालों की स्वतंत्रता एवं पुनर्वास हेतु रोजगार योजना	97.00	50.00	47.00	48
113.	3601.04.341.01-बाल छात्रावास	31.50	4.60	26.90	85
114.	3601.04.341.06-बालिका छात्रावास	45.00	22.34	22.66	50
115.	3601.04.344.01-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	97.00	4.00	93.00	96
अनुदान सं. 89- अंतरिक्ष विभाग					
116.	3402.00.102.02-विकास एवं शिक्षा संचार इकाई (डी इ सी यू)	56.88	20.77	36.11	63
117.	3402.00.102.10-आपदा प्रबंधन सहायता	30.00	7.20	22.80	76
118.	5252.00.203.03- इनसैट-4 सैटेलाइट	282.04	154.04	128.00	45
119.	5252.00.204.01-इनसैट एम सी एफ	35.18	17.93	17.25	49
120.	5402.00.101.07- लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम्स सेंटर (एल.पी.एस.सी.)	49.10	25.11	23.99	49
121.	5402.00.101.09-इलेक्ट्रो - ऑप्टिक्स सिस्टम हेतु लेबोरेट्री (इल.ई.ओ.एस.)	20.11	9.45	10.66	53
122.	5402.00.101.35- मानव मिशन पहल/मानव अन्तर्िक्ष कार्यक्रम	210.00	5.98	204.02	97
123.	5402.00.103.03-भारतीय चन्द्र आयोग - चन्द्रयान 1 एवं 2	84.62	14.74	69.88	83
124.	5402.00.800.02- विशेष स्वदेशीकरण/अग्रिम आदेश	201.00	60.00	141.00	70
अनुदान सं.91- इस्पात मंत्रालय					
125.	2852.80.800.23- लौह तथा इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के प्रोत्साहन हेतु योजना	26.00	4.13	21.87	84

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट VII-ज

(पैराग्राफ 7.16 के संदर्भ में)

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण

(₹ दस करोड़ और अधिक की बचत और जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनाता है)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
अनुदान सं.93- पर्यटन मंत्रालय					
126.	3602.04.826.01- गन्तव्य और सर्किट के लिए प्रोडक्ट/अवसंरचनात्म विकास	20.00	4.30	15.70	79
अनुदान सं. 94- जनजातीय कार्य मंत्रालय					
127.	3601.03.360.04-जनजातीय समूह का विकास (प्रभारित)	151.00	75.00	76.00	50
अनुदान सं.100- शहरी विकास विभाग					
128.	4216.01.700.05- लेखापरीक्षा	25.00	14.19	10.81	43
129.	4216.01.700.17-लोकसभा/राज्य सभा	18.82	8.38	10.44	55
अनुदान सं.101-लोक निर्माण कार्य					
130.	2059.01.799.01- भण्डार	18.00	7.71	10.29	57
131.	4059.80.051.11-गृह मंत्रालय	15.00	2.46	12.54	84
अनुदान सं.103- जल संसाधन मंत्रालय					
132.	2701.80.004.08-हाईड्रोजेजिक परियोजना	38.10	21.54	16.56	43
अनुदान सं.104- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय					
133.	2235.02.102.18- एकीकृत बाल विकास सेवाएं	34.59	15.39	19.20	56
134.	2235.02.103.57-प्रियदर्शनी	27.00	0.04	26.96	100
135.	2235.02.800.21-सूचना, शिक्षा एवं प्रकाशन	45.00	18.21	26.79	60
रक्षा सेवाएं					
27 – रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय					
136.	4076.01.107 – सेवानिवृत्त सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना	37.00	5.91	31.09	84
137.	4076.01.113 – नैशनल कैंडिड कोर्पस	27.30	3.60	23.70	87
138.	4076.03.102 – भारी एवं मध्यम वाहन	84.56	23.20	61.36	73
139.	4076.04.052 – मशीनरी एवं उपकरण	445.13	97.39	347.74	78
डाक विभाग					
13 – डाक सेवाएं					
140.	3201.08.101 – पोस्ट कार्ड, लिफाफे, टिकटें	45.53	22.08	23.45	52

परिशिष्ट VII-ट
(पैराग्राफ 7.17 के संदर्भ में)

₹ दस करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले जहाँ समग्र प्रावधान अव्ययित रहा, को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान के प्रति बचत की प्रतिशतता
सिविल					
अनुदान सं. 3 - पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य पालन विभाग					
1.	2403.00.101.29- राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली (एन.ए.डी.आर.एस.)	47.04	-	47.04	100
2.	3601.04.577.08- चैस्टी डैस पैटिटीस रूमिनेन्टस (पी.पी.आर.) राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम	35.90	-	35.90	100
अनुदान सं. 4-परमाणु ऊर्जा					
3.	4861.60.203.59- तारापुर एवं कलपक्कम नाभकीय रिसाईकल सुविधाओं का एकीकरण तथा प्रक्रिया आँगजलरी प्रणाली का नवप्रवर्तन	10.00	-	10.00	100
अनुदान सं. 8 - फार्मास्यूटीकल विभाग					
4.	6857.02.190.04- हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लि.	20.02	--	20.02	100
अनुदान सं.10-कोयला मंत्रालय					
5.	2803.00.101.01 – कोयला क्षेत्र में परिवहन अवसंरचना के विकास के प्रति उपकर (उत्पादन शुल्क) के संचयन के विरुद्ध भुगतान	22.00	-	22.00	100
6.	2803.00.800.02 – पर्यावरणीय उपाय एवं अस्तित्व नियंत्रण	15.00	-	15.00	100
अनुदान सं. 11-वाणिज्य विभाग					
7.	2407.60.800.03- फसल बीमा	10.00	-	10.00	100
अनुदान सं. 14-दूरसंचार विभाग					
8.	5275.00.800.02-भूमि तथा अप्ठमान निकोबार के बीच समुद्र के नीचे तारे बिछाना	61.00	-	61.00	100
अनुदान सं. 17-खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग					
9.	2408.01.102.08- टी.पी.डी.एस. के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की स्मार्ट कार्ड आधारित सुपर्दगी के आरम्भ पर पायलट योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार तथा सं.शा.क्षे. प्रशासन को आर्थिक सहायता	142.28	-	142.28	100
10.	2408.01.800.07- नाबार्ड के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों को ब्याज की आर्थिक सहायता	31.11	-	31.11	100
अनुदान सं.19-संस्कृति मंत्रालय					
11.	2205.00.105.04-अन्य योजनाएं	13.00	-	13.00	100
अनुदान सं. 30- पर्यावरण और वन मंत्रालय					
12.	2406.04.101.05-पी.आर.आई. के माध्यम से वनीकरण (एन.सी.एम.पी.-संबंधित योजना) पंचायत वन योजना	10.00	-	10.00	100

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट VII-ट
(पैराग्राफ 7.17 के संदर्भ में)

₹ दस करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले जहाँ समग्र प्रावधान अव्ययित रहा, को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान के प्रति बचत की प्रतिशतता
अनुदान सं. 31- विदेश मंत्रालय					
13.	2061.00.798.06- साञ्ज एशियन विश्वविद्यालय	80.00	-	80.00	100
अनुदान सं.32-आर्थिक कार्य विभाग					
14.	5466.00.207.01 – अंतर्राष्ट्रीय मोनिटरी निधि के प्रति अंशदान	3035.61	--	3035.61	100
अनुदान सं. 33-वित्तीय सेवा विभाग					
15.	2416.00.800.07-दीर्घावधि सहकारी क्रेडिट संरचना का पुनः उत्थान	1000.00	-	1000.00	100
अनुदान सं. 34-विनियोग - ब्याज भुगतान					
16.	2048.22.200.13- सरकारी प्रतिभूतियों के बाय-बैंक पर प्रीमियम का भुगतान	2400.00	-	2400.00	100
अनुदान सं.35-राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण					
17.	3601.02.101.41- चैन्सर्ड स्थित डिसालिनेशन प्लान्ट हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	300.00	--	300.00	100
18.	3601.02.101.43-अनबैंकड ब्लॉकों में बैंक ब्रांचे खोलने हेतु अवसंरचना सहायता के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	100.00	-	100.00	100
19.	7601.06.200-अन्य अर्थोपाय अग्रिम (प्रभारित)	1000.00	--	1000.00	100
अनुदान सं. 42-प्रत्यक्ष कर					
20.	4216.01.111.01-पहले से तैयार फ्लैटों का अभिग्रहण	15.00	-	15.00	100
अनुदान सं. 44-विनिवेश विभाग					
21.	5467.00.797.01- राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	2689.95	--	2689.95	100
22.	5467.00.101.01-भा.स्टे.बै. म्युच्युअल फंड	427.81	--	427.81	100
23.	5467.00.102.01- यू.टी.आई. म्युच्युअल फंड निवेश	427.81	--	427.81	100
24.	5467.00.103.01- एल.आई.सी. म्युच्युअल फंड	1834.32	--	1834.32	100
अनुदान सं. 46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय					
25.	2210.06.800.32- स्वास्थ्य बीमा (शहरी स्वास्थ्य मिशन)	44.00	--	44.00	100
26.	4210.01.800.07- निरीक्षण समिति के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर किया जाने वाला व्यय	35.00	--	35.00	100
27.	4210.04.200.10-पैरामैडिकल संस्थानों का सुदृढीकरण/सृजन	15.00	--	15.00	100
28.	4210.04.200.11-राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	20.00	--	20.00	100
29.	4216.01.700.52- निरीक्षण समिति के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर किया जाने वाला व्यय	15.00	--	15.00	100
अनुदान सं. 49- भारी उद्योग विभाग					
30.	2852.06.103.42- पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का आधुनिकीकरण	24.00	-	24.00	100
31.	4858.60.190.10-भारत भारी उद्योग निगम लि. में निवेश	10.44	-	10.44	100
32.	4858.60.190.11- एच एम टी लि. में निवेश	18.42	-	18.42	100

परिशिष्ट VII-ट
(पैराग्राफ 7.17 के संदर्भ में)

₹ दस करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले जहाँ समग्र प्रावधान अव्ययित रहा, को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान के प्रति बचत की प्रतिशतता
33.	4858.60.190.20- पी एस इ की पुनः संरचना हेतु एक मुश्त प्रावधान	15.00	-	15.00	100
34.	6854.60.800.01 – पी एस इ की पुनःरूज्जीवन योजना का कार्यान्वयन	150.00	-	150.00	
35.	6858.60.190.07 – स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का कार्यान्वयन एवं सांविधिक बकायों का भुगतान	250.00	-	250.00	
अनुदान सं. 58-उच्चतर शिक्षा विभाग					
36.	2203.00.112.38- नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना	54.00	-	54.00	100
37.	3601.01.166.01- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों के वेतनमानों में सुधार	250.01	-	250.01	
अनुदान सं. 73- योजना मंत्रालय					
38.	2203.00.800.18-पी पी पी के माध्यम से निपुणता विकास नई पहलकदमियां	15.00	-	15.00	100
39.	3475.00.800.82-राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर योजना प्रक्रिया को सहायता	20.00	-	20.00	100
40.	3601.03.431.02-राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर योजना प्रक्रिया को सहायता	175.00	-	175.00	100
अनुदान सं. 80- ग्रामीण विकास विभाग					
41.	2515.00.800.23- ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख-सुविधाओं हेतु प्रावधान (ग्रा.श.सु.प्रा.)	27.00	-	27.00	100
अनुदान सं.81- भू संसाधन विभाग					
42.	2501.05.101.09- जैव ईंधन योजना	27.00	-	27.00	100
अनुदान सं.83-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग					
43.	3425.60.600.03-आर एण्ड डी सैस के अंतर्गत प्राप्तियों के विरुद्ध भुगतान	10.00	-	10.00	100
अनुदान सं. 86- जहाजरानी मंत्रालय					
44.	2852.06.102.25- हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. को स्थापना एवं अन्य लागतों हेतु अनुदान	14.00	-	14.00	100
45.	5075.60.800.06 – सेतुसमुद्रम शिप कैनल परियोजना	151.10	-	151.10	
अनुदान सं.87- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग					
46.	3054.04.337.07 – बिना विधानसभा वाली सं.शा.क्षे. सरकारों को केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	12.11	--	12.11	100
47.	3055.00.004.24 – निरीक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र	10.00	--	10.00	100
48.	3055.00.004.25 – जन परिवहन प्रणाली का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण	35.00	--	35.00	100
49.	3055.00.004.26 – राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड	72.00	--	72.00	100

परिशिष्ट VII-ट
(पैराग्राफ 7.17 के संदर्भ में)

₹ दस करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले जहाँ समग्र प्रावधान अव्ययित रहा, को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान के प्रति बचत की प्रतिशतता
50.	3601.04.106.01 – आर्थिक महत्व की सड़कें	53.00	--	53.00	100
51.	3602.02.105.01 – दिल्ली में सड़कें	60.00	--	60.00	100
52.	3602.04.105.01- अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कें	16.03	--	16.03	100
अनुदान सं. 88 – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय					
53.	3601.04.362.02-वृद्धा आश्रम का निर्माण	10.00	-	10.00	100
अनुदान सं. 89- अंतरिक्ष विभाग					
54.	5252.00.203.04-इनसैट-4 लांच सेवाएं	50.00	-	50.00	100
अनुदान सं. 90- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय					
55.	3601.03.432.04- भारतीय सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना (भारत में सांख्यिकी प्रणाली का आधुनिकीकरण)	82.30	-	82.30	100
अनुदान सं. 94- जनजातीय कार्य मंत्रालय					
56.	3601.03.360.03- जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (प्रभारित)	10.00	-	10.00	100
57.	4225.80.190.13-राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम को सहायता	50.00	-	50.00	100
अनुदान सं.95 – अण्डमान निकोबार एवं द्वीप					
58.	5052.80.796.01 – जहाजों की खरीद	25.00	--	25.00	100
अनुदान सं.100- शहरी विकास विभाग					
59.	2217.80.004.03- भारत अर्थ मूवर्स लि.	30.00	-	30.00	100
अनुदान सं.103- जल संसाधन मंत्रालय					
60.	3601.01.752.01- सतलुज, यमुना लिंक नहर परियोजना	22.00	--	22.00	100
अनुदान सं.104- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय					
61.	2235.02.103.55- बलात्कार पीड़ित को राहत तथा उसका पुनर्वास	53.10	-	53.10	100
62.	3601.04.356.04- स्वयंसिद्धा	13.55	-	13.55	100
63.	3601.04.358.08- किशोर बालिकाओं की अधिकारिता हेतु राजीव गांधी योजना	97.00	-	97.00	100

परिशिष्ट VII- ट
(पैराग्राफ 7.18 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण
(बजट प्रावधान की ₹100 करोड़ और अधिक की बचतें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
अनुदान सं. 7-उर्वक विभाग					
1.	2401.00.105.14-देशी अनियंत्रित उर्वक की छूट बिक्री हेतु भुगतान	16800.00	16000.00	800.00	आर्थिक सहायता दावों की कम संख्या में प्राप्ति
2.	2401.00.106.02-यूरिया का आयात	9548.44	6999.98	2548.46	यूरिया का कम आयात, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत कम होना तथा बदलती विनियम दरों में भिन्नता
अनुदान सं. 14-दूरसंचार विभाग					
3.	3451.00.091.03-टेलिमिटेक्स विकास केन्द्र	265.00	100.00	165.00	निकासी - गृह उपयोग के कार्यान्वयन हेतु विस्तरीय अवसंरचना की स्थापना तथा ब्राडबैंड गतिविधियों की व्यवहार्यता
अनुदान सं. 20-रक्षा मंत्रालय					
4.	4047.00.037.01-तट सुरक्षा संगठन	1300.02	907.65	392.37	सी.एन.सी. का पूरा न करना उपकरणों की गैर/देर से आपूर्ति करना, आई.पी.वी. परियोजना यादों को विभिन्न चरणों की धीमी गति, कुछ भू-अधिग्रहण का कार्यान्वयन न करना।
अनुदान सं. 30-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय					
5.	3435.04.101.06-राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	511.00	375.99	135.01	नव-निर्मित प्राधिकारी के आबंटन की देर से घोषणा और उसके बाद राष्ट्रीय गंगा नदी की घाटी प्राधिकरण की बैठक आयोजन में और कार्य के भी के संवेग में विलम्ब।
अनुदान सं. 32-आर्थिक कार्य मंत्रालय					
6.	3054.80.107.02-रेलवे सुरक्षा कार्य हेतु बजट सहायता	958.36	827.11	131.25	रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए उपकर संग्रहण के अंश पर आधारित योजना आयोग द्वारा बनाये गये कम प्रावधान के कारण
7.	3054.80.797.02-केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण	958.36	827.11	131.25	रेलवे सुरक्षा कार्य के लिए संग्रहित उपकर अंश पर आधारित योजना आयोग द्वारा किया गया कम प्रावधान और समान राशि को आरक्षित निधि में अन्तरित करने के कारण।
8.	3475.00.800.73-भारतीय एग्जिम बैंक को ब्याज समकक्ष सहायता	278.00	118.87	159.13	भारतीय एग्जिम बैंक से कम दावों की प्राप्ति।
9.	5466.00.207.02-मूल्य दायित्व का अनुसंधान (एम ओ वी)	12790.00	3653.93	9136.07	एस.डी.आर. की शर्तों के अनुसार मुद्रा की कीमत बनाए रखने के लिए आई.एम.एफ. द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता का न होना।
अनुदान सं. 33-वित्तीय सेवाएं विभाग					
10.	2885.01.800.11-स्ट्रेस ऐसेटस स्टेबलाइजेशन फंड को जारी प्रतिभूतियों की छूट	400.00	300.00	100.00	महत्वपूर्ण तथा निष्पादित न कर रही परिसम्पत्तियों में से कम वसूलियां।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट VII- ट
(पैराग्राफ 7.18 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण
(बजट प्रावधान की ₹100 करोड़ और अधिक की बचतें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
अनुदान सं. 35-राज्य तथा सं.शा.क्षे. सरकारों का अंतरण					
11.	2075.00.795.03-राज्यों सरकारों का प्रदत्त ऋणों को बट्टे खाते में डालना	5500.00	3350.81	2149.19	ऋण अधित्याग के लिए हकदार पाए गए राज्य सरकारों की कम संख्या।
12.	2245.80.103.01-प्राकृतिक आपदा हेतु एन सी सी एफ से राज्य का सहायता	3700.00	3261.52	438.48	कुछ राज्य सरकारों को आई.एम.जी./एच.एल.सी. द्वारा अनुशंसित कम सहायता।
13.	3601.01.104.05-स्थानीय निकायों हेतु अनुदान	7026.85	5706.46	1320.39	कुछ राज्य सरकारों द्वारा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न करना।
14.	3601.01.104.07-शिक्षा क्षेत्र हेतु अनुदान सहायता (प्रभारित)	2915.45	2281.35	634.11	कुछ राज्य सरकारों द्वारा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न करना।
15.	3601.01.104.08-स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु अनुदान सहायता (प्रभारित)	1944.31	1370.83	573.48	कुछ राज्य सरकारों द्वारा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न करना।
16.	3601.01.104.09-सड़कों एवं पुलों के अनुरक्षण हेतु अनुदान सहायता (प्रभारित)	4250.00	3391.23	858.77	कुछ राज्य सरकारों द्वारा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न करना।
17.	3601.01.104.10-लोक भवनों के अनुरक्षण हेतु अनुदान सहायता (प्रभारित)	2047.00	994.43	1052.57	कुछ राज्य सरकारों द्वारा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न करना।
18.	3601.01.104.13-राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु अनुदान सहायता (प्रभारित)	2581.92	2136.14	445.78	कुछ राज्य सरकारों द्वारा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न करना।
19.	3601.02.101.01-सामान्य केन्द्र सहायता	19110.61	17442.05	1668.56	कुछ राज्यों सरकारों से प्रस्तावों का प्राप्त न होना।
20.	3601.02.101.26-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	9700.00	8524.39	1175.61	जल संसाधन मंत्रालय से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
21.	3601.02.101.37- टी सुनामी पुनर्वास योजना (टी आर पी)	336.98	208.84	128.14	केरल राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्राप्त न होना।
22.	3601.02.797.01-राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	4832.00	3384.97	1447.03	निधि के अंतर्गत प्राप्ति की वसूली में कमी के कारण
अनुदान सं. 37- विनियोग - ऋण का पुनर्भुगतान					
23.	6001.00.101-बाजार ऋण	43135.79	42575.64	560.15	भण्डार धारियों द्वारा नियंत्रण प्रस्तुत करने के विकल्प का कम प्रयोग
24.	6001.00.106.31—6.5% बचत बंधपत्र, 2003 (गैर कर योग्य)	8076.46	7770.50	305.96	बन्धपत्रधारियों द्वारा कम दावों को प्रस्तुत करने के कारण।
25.	6001.00.114 – अर्थापय अग्रिम	300000.00	153154.00	146846.00	निश्चित रोकड़ स्थिति के कारण अर्थापय अग्रिम का आसरा
26.	6001.00.115 – 14 दिवसीय खजाना बिल	2376481.82	2372189.18	4292.64	राज्य सरकारों द्वारा अधिशेष निधियों का कम निवेश।
अनुदान सं. 39-पेंशन					
27.	2071.01.102.01-साधारण पेंशन	2230.25	2070.16	160.09	कम दावों की प्राप्ति के कारण।
28.	2071.01.104.01- साधारण पेंशन	2344.29	2184.54	159.74	कम दावों की प्राप्ति के कारण।

परिशिष्ट VII- ट
(पैराग्राफ 7.18 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण
(बजट प्रावधान की ₹100 करोड़ और अधिक की बचतें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
अनुदान सं. 46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय					
29.	2211.00.109.09-नियमित टीकाकरण कार्यक्रम	414.21	268.93	145.28	सरकार द्वारा पेन्टावैलेन्ट वैक्सीन का अनुयापन न करना तथा पुनर्निविदा के कारण कोल्ड चेन उपकरणों तथा नियमित टीके का कम प्रापण।
30.	2210.05.105.41-एम्स जैसे अतिविशिष्ट अस्पतालों सह शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा राज्यों सरकार अस्तपलों का उन्नयन	148.00	12.67	135.33	चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पतालों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान आरम्भ नहीं किया जा सका।
31.	4210.03.105.12- एम्स जैसे अतिविशिष्ट अस्पतालों सह शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा राज्यों सरकार अस्पतालों का उन्नयन	1119.92	380.06	739.86	पूँजीगत निर्माण-कार्य की धीमी गति और कम वाहनों का प्रापण।
अनुदान सं. 53-पुलिस					
32.	2055-00.119.01-निदेशन एवं प्रशासन	2784.06	2584.56	199.50	कान्सटेबल के पदों हेतु भरती प्रक्रिया को पूरा करने में विलम्ब तथा मितव्ययी उपाय।
अनुदान सं. 56-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय					
33.	2216.02.190.12 – शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु योजना	180.59	0.83	179.76	योजना के प्रारम्भिक चरण पर होने के कारण।
अनुदान सं. 58-उच्चतर शिक्षा विभाग					
34.	2202.80.800.40-आई.सी.टी. के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन	810.00	270.88	539.12	योजना के कार्यान्वयन की धीमी गति
35.	2203.00.112.48-नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना	400.00	248.50	151.50	पांच मामलों में आई.आई.टी. के स्थायी परिसर के लिए भूमि के अंतरण को अंतिम रूप न दिया जाना।
अनुदान सं. 59-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय					
36.	2221.80.102.01-प्रसार भारती	1635.33	1440.72	194.61	सॉफ्टवेयर योजना को अनुमोदन न करने डी.डी. काशेर के प्रारम्भ न करने , पुर्जों का गैर-प्रापण और मितव्ययी उपाय आदि।
अनुदान सं. 64-सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय					
37.	2851.00.200.16 – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	547.80	409.68	138.12	कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता जिला स्तर कार्य बल समिति बैठक आयोजित करने में बैंक द्वारा क्रेडिट निर्णय लेने में तथा सीमा धन दावों का निपटान करने में विलम्ब।
अनुदान सं. 69-पंचायती राज मंत्रालय					
38.	3601.02.471.01-पिछले क्षेत्रों हेतु अनुदान	4670.00	3670.00	1000.00	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट VII- ट
(पैराग्राफ 7.18 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण
(बजट प्रावधान की ₹100 करोड़ और अधिक की बचतें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
अनुदान सं. 74-विद्युत मंत्रालय					
39.	2801.02.102.02 – प्रचालन एवं अनुरक्षण	149.59	26.57	123.02	बदरपुर थरमल पावर स्टेशन और सम्बन्धित पार्टियों के बीच बकाया देयताओं का गैर-समाधान।
40.	2801.06.800.03-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	6300.00	5000.00	1300.00	सामान्य चुनाव और भारी बरसाती मौसम के कारण योजना की धीमी गति।
41.	6801.00.190.04-विद्युत वित्त निगम को ऋण	1477.00	1331.46	145.54	कर्ज को अनुदान में परिवर्तन करने की कड़ी शर्तों के कारण कार्य की धीमी गति, एस.सी.ए.डी.ए. कार्यान्वयन आदि में वितरण लाभ की सक्षमता की कमी।
अनुदान सं. 80-ग्रामीण विकास विभाग					
42.	2505.02.101.02-जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/जिला कार्यक्रम मध्यस्थों एवं अन्वयों को सहायता	37778.62	33506.61	4272.01	राज्य सरकार के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता।
43.	2505.02.101.09 – क्षमता निर्माण तकनीकी सहायता	1300.00	8.36	1291.64	राज्य सरकार से कम प्रस्तावों की प्राप्ति और व्यय बिना समिति मीमों को अंतिम रूप न दिया जाना।
44.	2505.02.797.01-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि को अंतरण	39100.00	33539.38	5560.62	राज्य सरकार के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता तथा राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
45.	3054.04.338.07 – ई.ए.पी. घटक	1350.00	810.00	540.00	कम डीजल उपकरण का संग्रहण और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कटौती
46.	3054.80.797.03-केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण	4843.13	4183.13	660.00	कम डीजल उपकरण का संग्रहण और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कटौती
अनुदान सं. 81-भू संसाधन विभाग					
47.	3601.03.467.08-राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	307.00	187.98	119.02	राज्यों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति और संशोधित अनुमान चरण पर वि.मं. द्वारा कटौती लागू की गई।
अनुदान सं. 86 – जहाजरानी मंत्रालय					
48.	2852.06.102.21 – गैर केन्द्रीय लो.से.उ. शिपयार्ड तथा निजी शिपयाडों को आर्थिक सहायता	370.53	77.06	293.47	कुछ निजी शिपयार्ड से प्रस्तावों का गैर-अनुमोदन।
49.	3051.01.108.01 – कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा हलदिया नहर में ड्रेजिंग एवं अनुरक्षण	437.98	246.77	191.21	विचाराधीन होने के कारण योजना पुनःतैयार करने के लिए संशोधित कैबिनेट नोट।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट VII- ट
(पैराग्राफ 7.18 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण
(बजट प्रावधान की ₹100 करोड़ और अधिक की बचतें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
अनुदान सं. 87- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय					
50.	3054.80.797.02 – केन्द्रीय सड़क निधि का अंतरण हेतु ब्लॉक अनुदान	10878.51	9389.76	1488.75	संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कटौती।
51.	3601.01.821.02- बी.आर. डी.बी. के अंतर्गत सड़क कार्य	1618.01	1173.27	444.74	भू-अधिग्रहण तथा वन विभाग से अनापत्ति को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण पुनःपृष्ठन लक्ष्य में कमी।
52.	3601.02.105.01- राज्य सड़कों हेतु अनुदान	1988.55	1340.26	648.29	राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाणपत्र की गैर-प्राप्ति तथा सं.अ. चरण पर प्रावधान की कटौती।
53.	3601.04.105.01 – अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कें	213.97	104.35	109.62	राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाणपत्र की गैर-प्राप्ति।
54.	5054.01.190.01- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	8578.45	7404.70	1173.75	योजना आयोग द्वारा सं.अ. चरण पर प्रावधान की कटौती।
55.	5054.02.337.03 – बी.आर. डी. बी. के अंतर्गत कार्य	1616.00	1304.26	311.74	भू-अधिग्रहण तथा वन विभाग से अनापत्ति को अंतिम रूप न दिये जाने तथा उपकरण तथा भण्डार आदि की खरीद का देर से अनुमोदन।
अनुदान सं. 92-कपड़ा मंत्रालय					
56.	2852.08.202.27-एकीकृत कपड़ा पार्क	377.00	260.80	116.20	योजनाओं के अंतर्गत चालू परियोजनाओं की धीमी गति।
रक्षा सेवाएं					
अनुदान सं. 22- रक्षा सेवाएं - थल सेना					
57.	2076.00.110 –भण्डार	11438.26	9404.65	2033.61	ईंधन, तेल और ल्यूब्रिकन्ट पर कम व्यय के कारण चीनी का गैर-प्रापण, छटी सी.पी.सी. के प्रभावों की गलत संगणना, बैरल के करार को समाप्त न करना, बिलों की वापसी, सी.डी.ए. द्वारा बुकिंग की धीमी गति और आपूर्ति किये गये इंजीनियर भण्डार पर डी.जी.ओ.एफ. द्वारा कम व्यय।
58.	2076.00.113-एन.सी.सी.	843.38	736.12	107.26	मंत्रालय द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया।
अनुदान सं. 23- रक्षा सेवाएं - नौ सेना					
59.	2077.00.110-भण्डार	3202.61	2957.11	245.50	मंत्रालय द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट VII- ट
(पैराग्राफ 7.18 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण
(बजट प्रावधान की ₹100 करोड़ और अधिक की बचतें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
अनुदान सं. 24- रक्षा सेवाएं - वायु सेना					
60.	2078.00.110-भण्डार	7927.41	5640.37	2287.04	मार्च 2010 के अंत में प्राप्त 18 एरों ईंजन के लिए अप्रैल 2010 में किये गये भुगतान के कारण, विनिमय दर परिवर्तन, मिसाइल लान्चेर, सहयोगी जी.एस.ई. की गैर-सुपुर्दगी, मदों के भुगतान को अगले वित्तीय वर्ष में ले जाना, मांग-पत्रों में से एक में परिवर्तन सी.डी.ए. द्वारा कुछ बलों की प्रक्रिया न करना, ए.टी.एफ. की कम बुकिंग, कुछ करारों/मदों को अंतिम रूप न दिया जाना प्रशिक्षण के लिए, मैसर्स एच.पी. पर आपर्ति आदेश का गैर कार्यान्वयन।
अनुदान सं. 25- रक्षा सेवाएं - आयुध फैक्ट्री					
61.	2079.00.054 - निर्माण	3684.00	3566.03	117.97	मंत्रालय ने केवल ₹13.97 करोड़ के आधिक्य के लिए कारण दिये, जिसे वेतन एवं भत्तों जिसमें परिवर्तनीय तथ्य थे, के अंतर्गत बड़े हुए खर्च पर आरोपित किया।
62.	2079.00.800-अन्य व्यय	642.80	506.74	136.06	मंत्रालय ने विद्युत, जल हेतु तथा ए.एफ.एम.एस.डी. द्वारा औषधी की कम बुकिंग के कारण तथा अन्य विविध व्यय में पुनर्विनियोग को ध्यान में रखते हुए केवल ₹23.26 करोड़ हेतु कारण दिए।
अनुदान सं. 26- अनुसंधान एवं विकास संगठन					
63.	2080.00.004-अनुसंधान/अनुसंधान विकास	936.00	562.81	373.19	मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष के अंत में ई.आर. एवं आई.पी.आर. द्वारा निधियों के अभ्यर्पण तथा विभिन्न प्राप्ति एवं प्रेषण बोर्डों हेतु सीमांतक बचत के संचित प्रभाव आदि के कारण केवल ₹10.78 करोड़ के लिए कारण दिए।
64.	2080.00.110 - भण्डार	1668.26	1453.76	214.50	केवल ₹28.96 करोड़ की बचत हेतु ही कारण प्रस्तुत किए गए थे क्योंकि यह अनुमानित प्रक्षेपणों के प्रति केन्द्रीय क्रय के अंतर्गत डी.जी.ओ.एफ. द्वारा व्यय को कम दर्ज करने के संयुक्त प्रभाव तथा प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं से सीमांतक बचतों के संचित प्रभाव के कारण था।
अनुदान सं. 27 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय					
65.	4076.01.101 - वायुयान एवं वायु ईंजन	1020.62	138.09	882.53	पुनर्विनियोग के पश्चात से मंत्रालय द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया था, बचत ₹50 लाख से कम थी।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट VII- ट
(पैराग्राफ 7.18 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण

(बजट प्रावधान की ₹100 करोड़ और अधिक की बचतें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
66.	4076.01.103 – अन्य उपकरण	11121.24	10089.54	1031.70	पुनर्विनियोग के पश्चात से मंत्रालय द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया था, इसने इस शीर्ष को आधिक्य रूप में दर्शाया है।
67.	4076.01.202 – निर्माण कार्य	4718.20	3087.09	1631.11	केवल ₹22.55 करोड़ की बचतों हेतु कारण प्रस्तुत किया था। क्योंकि यह सी.ए.ओ. के आर्बिट्रिडि निधि को अभ्यर्पित करने, मुख्य पश्चिमी कमान द्वारा नए पूंजीगत कार्यों से पिछले पूंजीगत कार्यों को निधियों का आंतरिक अंतरण, आपूर्ति आदेशों के कार्यान्वयन में विलम्ब आदि के कारण था।
68.	4076.02.103 – अन्य उपकरण	1102.02	868.08	233.94	केवल ₹22.55 करोड़ की बचतों हेतु ही मंत्रालय द्वारा कारण प्रस्तुत किया था।
69.	4076.02.104 – संयुक्त स्टाफ	408.13	272.81	135.32	केवल ₹17.91 करोड़ की बचतों हेतु ही कारण प्रस्तुत किया था क्योंकि यह एस.एफ.सी. द्वारा निधियों के अनुपयोग, सी.वी.डी. दिल्ली कैंट द्वारा वाहनों के गैर प्रापण तथा कुछ मुख्य योजनाओं के न फलने के कारण था।
70.	4076.02.202 – निर्माण कार्य	413.00	307.24	105.76	मंत्रालय द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया है।
71.	4076.02.205 – नौ सेना डाकयार्ड	1036.67	719.63	317.04	-वही -
72.	4076.03.103 – अन्य उपकरण	6891.53	5317.39	1574.14	मंत्रालय ने पुनर्विनियोग के पश्चात से कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया था, इसने अधिक व्यय दर्शाया था।
73.	4076.03.202 – निर्माण कार्य	1100.00	904.59	195.41	मंत्रालय द्वारा केवल ₹9.10 करोड़ की बचतों हेतु ही कारण प्रस्तुत किया गया था क्योंकि यह संविदा द्वारा कार्य की धीमी प्रगति, प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण वायु भवन के लिए वी.आर.एफ. के साथ सेन्दुल एयर कन्डीशनिंग परियोजना का आरम्भ न होने, थनजावोर पर पश्चिमी कैंट अंतिम स्तर में कार्यों की प्रगति को प्रभावित कर रहा तूफानी मौसम, कुछ कार्यों का प्रारम्भ न होने तथा राशि की गलती की मांग न करने के कारण था।
74.	4076.04.052-मशीनरी एवं उपकरण	445.13	97.39	374.74	मंत्रालय ने नालंदा परियोजना पर व्यय में कटौती के कारण तथा वर्ष की समाप्ति तक संयंत्र एवं मशीनरी की गैस-आपूर्ति के कारण सामान्य एन.सी. के अंतर्गत केवल ₹20.73 करोड़ के लिए ही कारण दिए।

परिशिष्ट- VIII - क
(पैराग्राफ 8.6 के संदर्भ में)

कृषि एवं सहकारिता विभाग में अवास्तविक बजटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	ब.प्रा. की प्रतिशतता के रूप में बचतें
2007-08					
1.	2401.00.800.23-कृषि क्लीनिक, कृषि व्यवसायिक केन्द्रों की स्थापना	20.00	5.00	15.00	75
2.	2401.00.800.24- कृषीय सूचना प्रणाली का सुदृढीकरण /उन्नयन	29.28	13.62	15.66	53
3.	3601.03.436.11- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	55.00	-	55.00	100
4.	6401.00.190.04- भारतीय राज्य खेत निगम	12.00	-	12.00	100
2008-09					
5.	2401.00.103.31-पुनर्संरचना हेतु एस.एफ.सी.आई./एन.एस.सी. को अनुदान	21.00	-	21.00	100
6.	2401.00.108.27- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	25.00	-	25.00	100
7.	3601.03.437.08- उर्वरकों के सही इस्तेमाल के प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय परियोजना	19.00	0.05	18.95	100
2009-10					
8.	2401.00.108.27- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	25.00	-	25.00	100
9.	2401.00.800.35- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	14.38	1.36	13.02	91
10.	4401.00.113.13-खेत मशीनरी प्रशिक्षण तथा जांच संस्थान की स्थापना	12.20	1.87	10.33	85
11.	6425.00.107.01-भूमि विकास बैंक हेतु कर्जे	58.00	35.00	23.00	40

परिशिष्ट-VIII-ख

(पैराग्राफ 8.7 के संदर्भ में)

कृषि एवं सहकारिता विभाग में उप-शीर्ष में ₹100 करोड़ या अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक प्रावधान	बचतें	विभाग द्वारा दिए गए कारण
2007-08					
1.	2401.00.108.24- सूखी भूमि/वर्षा आधारित खेती प्रणाली की बरकारी में बढ़ोतरी	200.00	-	200.00	ई.एफ.सी. द्वारा योजना के गैर-अनुमोदन के कारण
2008-09					
2.	2401.00.108.28-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	993.00	878.24	114.76	पिछले वर्षों के बकायों की उपलब्धता
3.	2401.00.800.02- एम.आई.एस./पी.एस.एस. हेतु भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन फ़ैडरेशन लि. को अनुदान	500.00	375.00	125.00	प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति
4.	2401.00.800.35-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्य/सं.शा.क्षे. को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना)	1580.00	1305.95	274.05	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिये जाना
5.	3601.04.436.12- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	282.00	-	282.00	योजना के गैर अनुमोदन के कारण - पैरा 8.9 में चर्चा की गई है।
6.	7601.04.443.01- कार्य योजना के माध्यम से राज्यों के प्रयासों की सम्पूर्णता/प्रशंसा (लघु प्रबंधन) (प्रभारित)	157.80	-	157.80	आर्थिक कार्यों पर कैबिनेट समिति की स्वीकृति के साथ वित्तपोषण प्रणाली में बदलाव
2009-10					
7.	2401.00.103.25-बीजों के उत्पादन एवं संवितरण हेतु बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास एवं सुदृढीकरण	329.00	219.16	109.84	प्रस्तावों जिन्होंने अपर्याप्त कार्यान्वयन का सुझाव दिया को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण
8.	3601.04.436.12- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	112.00	-	112.00	योजना के गैर अनुमोदन के कारण - पैरा 8.9 में चर्चा की गई है।

परिशिष्ट-VIII-ख

(पैराग्राफ 8.7 के संदर्भ में)

कृषि एवं सहकारिता विभाग में उप-शीर्ष में ₹100 करोड़ या अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक प्रावधान	बचतें	विभाग द्वारा दिए गए कारण
9.	2401.00.108.28-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1260.00	1017.09	242.91	कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों के अप्रयुक्त शेषों की उपलब्धता
10.	2401.00.119.40-राष्ट्रीय बागवानी मिशन	1100.00	800.00	300.00	कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों के अप्रयुक्त शेषों की उपलब्धता
11.	3601.02.446.01-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	4052.70	3756.53	296.17	कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों के अप्रयुक्त शेषों की उपलब्धता

परिशिष्ट-VIII-ग

(पैराग्राफ 8.16 के संदर्भ में)

भू-विज्ञान मंत्रालय में निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त प्रावधान	बजट प्रावधानों के प्रति अप्रयुक्त प्रावधानों की प्रतिशतता
3403.00.103.01 – समुद्र अनुसंधान एवं विकास	2007-08	34.30	20.32	13.98	41
	2008-09	5.00	3.67	1.33	27
	2009-10	8.00	2.77	5.23	65
3403.00.200.14 –सुनामी एवं तूफानी लहरों की चेतावनी की प्रणाली (टी.एस.एस.डब्ल्यू.एस.)	2008-09	15.00	10.12	4.88	33
	2009-10	15.00	10.56	4.44	30
3403.00.200.17 – मैड समर्सिबल का विकास	2007-08	5.00	शून्य	5.00	100
	2008-09	5.00	शून्य	5.00	100
	2009-10	5.00	शून्य	5.00	100
3403.00.200.20 – राष्ट्रीय ओशनेरियम	2007-08	0.95	शून्य	0.95	100
	2008-09	0.50	शून्य	0.50	100
	2009-10	2.00	0.04	1.96	98
5425.00.800.06 –राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम भविष्यवाणी केन्द्र (एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ.)	2007-08	5.50	2.39	3.11	57
	2008-09	6.00	शून्य	6.00	100
	2009-10	8.00	शून्य	8.00	100
54.55.00.101.01 – अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी	2008-09	4.47	2.07	2.40	54
	2009-10	10.00	5.05	4.95	50
5455.00.102.02 – विमानन विज्ञान संबंधी	2008-09	5.00	शून्य	5.00	100
	2009-10	14.00	शून्य	14.00	100
5455.00.200.01 – एग्रोमेट परामर्शी सेवाएं	2007-08	6.10	2.30	3.80	62
	2008-09	5.50	0.42	5.08	92

परिशिष्ट-VIII-ग

(पैराग्राफ 8.16 के संदर्भ में)

भू-विज्ञान मंत्रालय में निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त प्रावधान	बजट प्रावधानों के प्रति अप्रयुक्त प्रावधानों की प्रतिशतता
	2009-10	6.00	0.42	5.58	93
5455.00.800.01 – भूकम्प आपदा एवं जोखिम मूल्यांकन	2007-08	8.45	शून्य	8.45	100
	2008-09	10.15	1.37	8.78	87
	2009-10	17.00	3.26	13.74	81
3455.00.800.03 – आई.एम.डी. का आधुनिकीकरण	2007-08	16.00	शून्य	16.00	100
	2008-09	5.00	1.80	3.20	64
5455.00.800.03 – आई.एम.डी. का आधुनिकीकरण	2007-08	223.62	1.40	222.22	99
	2008-09	359.00	139.34	219.66	61
	2009-10	166.38	144.17	22.21	13

परिशिष्ट-VIII -घ
(पैराग्राफ 8.19 के संदर्भ में)

भू-विज्ञान मंत्रालय में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

(रैंकरोड में)

वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि
1983-84	9	0.01
1984-85	27	0.45
1985-86	20	0.06
1986-87	15	0.08
1987-88	38	0.40
1988-89	43	1.41
1989-90	71	0.85
1990-91	39	2.51
1991-92	7	0.84
1992-93	22	3.49
1993-94	20	1.63
1994-95	17	2.18
1995-96	63	3.51
1996-97	41	0.69
1997-98	56	2.48
1998-99	50	5.84
1999-2000	46	7.14
2000-01	41	2.20
2001-02	26	2.20
2002-03	14	0.20
2003-04	61	1.63
2004-05	53	9.54
2005-06	72	7.17
2006-07	61	9.24
2007-08	135	30.03
2008-09	183	33.02
कुल	1230	128.80

परिशिष्ट-VIII- ड

(पैराग्राफ 8.23 के संदर्भ में)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

उप शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित	प्रतिशत
स्कूलों में दोपहर के भोजन की राष्ट्रीय योजना					
2202.01.112 - स्कूलों में दोपहर के भोजन की राष्ट्रीय योजना	2007-08	1886.60	897.08	989.52	52
	2008-09	1424.00	1465.03	+41.03	-
	2009-10	2129.10	1430.00	699.10	33
3601.04.187- प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में दोपहर के भोजन की राष्ट्रीय योजना	2007-08	4649.00	4911.92	+262.92	-
	2008-09	5701.00	5005.27	695.73	12
	2009-10	5701.00	5477.78	232.22	04
3601.04.187.06- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता	2007-08	-	-	-	-
	2008-09	75.00	61.22	13.78	18
	2009-10	75.00	23.08	51.92	69
शिक्षा का व्यवसायिकरण					
3601.04.180.01-शिक्षा का व्यवसायिकरण	2007-08	14.00	00	14.00	100
	2008-09	25.80	00	25.80	100
	2009-10	25.80	00	25.80	100
स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी					
2202.02.800.37- स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	2007-08	28.00	7.00	21.00	75
	2008-09	20.00	2.69	17.31	87
	2009-10	18.50	3.50	15.00	81
शिक्षक शिक्षा संस्थानों का सुदृढीकरण					
3601.04.188.01- शिक्षक शिक्षा संस्थानों का सुदृढीकरण	2007-08	428.70	309.28	119.42	28
	2008-09	428.70	247.79	180.91	42
	2009-10	428.70	312.50	116.2	27
3602.04.188.01- शिक्षक शिक्षा संस्थानों का सुदृढीकरण	2007-08	20.00	5.65	14.35	72
	2008-09	20.00	5.57	14.43	72
	2009-10	20.00	13.26	6.74	34
6202.01.202.02-राष्ट्रीय मीन्स - कम - मैरिट छात्रवृत्ति योजना	2008-09	761.54	750.00	11.54	02
	2009-10	750.00	250.00	500.00	67

परिशिष्ट- VIII - च
(पैराग्राफ 8.24 के संदर्भ में)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में अवास्तविक बजट अनुमान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	कारण
	2009-10				
1.	2202.02.110.15-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	983.46	489.28	494.18	राज्यों में कार्यान्वयन समितियों से प्रस्तावों की गैर प्राप्ति
2.	3601.04.180.06--राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	150.00	59.48	90.52	राज्य सरकारों से उपयुक्त प्रस्तावों की गैर प्राप्ति
3.	3602.04.187.06-संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता	75.00	23.08	51.92	संघ शासित क्षेत्र सरकारों से प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति के कारण
	2008-09				
4.	2202.01.800.19-जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (ई.ए.पी.)	50.00	5.59	44.41	योजना के बंद होने के कारण
5.	2202.02.800.37-स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी - स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	20.00	2.69	17.31	राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान एवं अन्यो से उपयुक्त प्रस्तावों की गैर प्राप्ति के कारण
6.	2202.04.200.14-प्रौढ़ शिक्षा एवं निपुणता विकास योजना	317.10	61.88	255.22	योजना के कुछ घटकों के संशोधन के कारण
	2007-08				
7.	2202.01.112.01-खाद्यानों की लागत	1653.00	785.21	867.79	पिछड़े शिक्षा ब्लॉकों में योजना के विस्तार हेतु कैबिनेट के अनुमोदन की प्राप्ति में विलम्ब के कारण
8.	2202.01.112.02-खाद्यानों के चलन की कीमत	216.00	107.88	108.12	खाद्यानों की परिवहन कीमत के भुगतान हेतु राज्य/स.शा.क्ष. से खाद्यान उठाने की कीमतों की गैर-प्राप्ति के कारण
9.	2202.01.112.07-परामर्शी/ विशेषज्ञ तथा मूल्यांकन/ अध्ययन हेतु शुल्क के प्रति भुगतान	12.00	0.58	11.42	भारतीय शिक्षा परामर्शी लि. में स्थापित राष्ट्रीय खेलकूद वर्ग का चालू न होने तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली को अंतिम रूप न देने के कारण
10.	3602.04.187.01- स्कूलों में	44.50	22.36	22.14	पिछले वर्षों में अप्रयुक्त शेषों

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	कारण
	दोपहर के भोजन की राष्ट्रीय योजना भोजन तैयार करने की लागत को पूरा करने हेतु सहायता				की उपलब्धता के कारण जिसने विलम्बित कार्यान्वयन तथा त्रुटिपूर्ण बजट को प्रस्तुत किया।

परिशिष्ट-VIII-छ

(पैराग्राफ 8.25 के संदर्भ में)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में समग्र प्रावधान का उपयोग न किया जाना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	विभाग द्वारा आरोपित किए गए कारण
2009-10					
1.	3475.01.797.01-राष्ट्रीय निवेश निधि के आय एवं व्यय खाते को अंतरण	185.90	--	185.90	उ.न.
2.	3601.04.180.01-शिक्षा का व्यवसायिकरण	25.80	--	25.80	योजना संशोधन के अंतर्गत
3.	3601.04.180.07-उत्कृष्टता बिन्दु के स्तर के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना की योजना	30.00	--	30.00	राज्य सरकारों द्वारा विद्यालयों का आरम्भ न किया जाना
4.	3602.04.179.02-विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी	4.00	--	4.00	पांडिचेरी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों से प्रस्तावों की गैर प्राप्ति
2008-09					
5.	2202.02.800.37-एक वर्षीय पूर्व प्राथमिक सरकारी स्थानीय निकाय विद्यालयों को सहायता	89.98	--	89.98	वित्त मंत्रालय से निर्देशों के प्राप्त होने के कारण योजना का गैर-कार्यान्वयन
6.	2202.02.110.13-नए आदर्श विद्यालय	582.78	--	582.78	संशोधित योजना को अंतिम रूप न दिया जाना।
7.	2202.04.200.16- 35+आयु वर्ग हेतु साक्षरता कार्यक्रम	14.98	--	14.98	वित्त मंत्रालय से निर्देशों के प्राप्त होने के कारण योजना का गैर कार्यान्वयन।
8.	3601.01.180.02-माध्यमिक स्तर पर सार्वभौमिक एवं गुणवत्ता हेतु योजना (सक्सैस)	1927.50	--	1927.50	योजना संशोधन एवं मॉडल कोड आफ कन्डक्ट के अधीन है।
9.	3602.01.180.05- माध्यमिक स्तर पर सार्वभौमिक एवं गुणवत्ता हेतु योजना (सक्सैस)	35.00	--	35.00	योजना संशोधन एवं मॉडल कोड आफ कन्डक्ट के अधीन है।
2007-08					
10.	2202.01.107.04-राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद	9.00	--	9.00	परिषद द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से पर्याप्त आय का

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	विभाग द्वारा आरोपित किए गए कारण
					सर्जन करना
11.	2202.02.110.02-विशेष नवोदय विद्यालय	247.48	--	247.48	योजना का अंतिम रूप न दिया जाना
12.	3601.04.180.02- माध्यमिक स्तर पर सार्वभौमिक एवं गुणवत्ता हेतु योजना (सक्सैस)	1149.10	--	1149.10	आर्थिक कार्यों हेतु कैबिनेट समिति से अनुमोदन की गैर-प्राप्ति के कारण योजना को अंतिम रूप न दिया जाना
13.	3602.04.180.05- माध्यमिक स्तर पर सार्वभौमिक एवं गुणवत्ता हेतु योजना (सक्सैस)	22.00	--	22.00	आर्थिक कार्यों हेतु कैबिनेट समिति से अनुमोदन की गैर प्राप्ति के कारण योजना को अंतिम रूप न दिया जाना

परिशिष्ट-VIII-ज
(पैराग्राफ 8.28 के संदर्भ में)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाण पत्र की सं.	देय उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र की सं.	प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र की राशि	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की राशि
1.	1982-83	98	0.23	97	0.18	1	0.05
2.	1984-85	209	1.01	208	1.00	1	0.01
3.	1985-86	326	1.72	317	1.67	9	0.05
4.	1986-87	403	2.45	384	2.27	19	0.18
5.	1987-88	192	2.77	188	2.64	4	0.13
6.	1988-89	281	26.33	260	25.59	21	0.74
7.	1989-90	494	16.01	461	15.46	33	0.55
8.	1990-91	474	42.21	465	42.00	9	0.21
9.	1991-92	343	45.67	336	45.58	7	0.09
10.	1992-93	311	61.08	301	60.30	10	0.78
11.	1993-94	1150	152.26	1122	149.28	28	2.98
12.	1994-95	1112	188.42	1078	183.81	34	4.61
13.	1995-96	1146	356.98	1096	345.70	50	11.28
14.	1996-97	1434	917.88	1390	913.08	44	4.80
15.	1997-98	1305	594.22	1266	592.66	39	1.56
16.	1998-99	1179	551.44	1127	538.06	52	13.38
17.	1999-00	1163	1036.24	1109	1032.02	54	4.22
18.	2000-01	990	1132.39	951	1115.19	39	17.20
19.	2001-02	711	1484.99	650	1420.60	61	64.39
20.	2002-03	769	3228.45.	670	3140.51	99	87.94
21.	2003-04	1359	4880.18	1155	4849.22	204	30.96
22.	2004-05	1283	7841.20	1142	7808.23	141	32.97
23.	2005-06	1107	8589.07	1008	8513.93	99	75.14
24.	2006-07	889	11236.92	752	11131.47	137	105.45
25.	2007-08	937	14006.15	824	13874.93	113	131.22
26.	2008-09	666	2267.53	601	1808.90	65	458.63
	योग	20331	58663.80	18958	57614.28	1373	1049.52

परिशिष्ट-VIII -इ

(पैराग्राफ 8.47 के संदर्भ में)

युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संस्वीकृति का वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाणपत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	1987-88	23	0.25	4	0.14	19	0.11
2	1988-89	97	0.55	22	0.17	75	0.38
3	1989-90	152	0.62	13	0.19	139	0.43
4	1990-91	182	0.98	12	0.22	170	0.76
5	1991-92	129	0.81	10	0.24	119	0.57
6	1992-93	368	4.43	87	2.46	281	1.97
7	1993-94	360	5.64	82	3.34	278	2.30
8	1994-95	228	4.30	64	2.46	164	1.84
9	1995-96	339	8.80	79	5.78	260	3.02
10	1996-97	362	12.32	113	8.79	249	3.54
11	1997-98	233	14.24	122	13.10	111	1.14
12	1998-99	522	118.40	228	113.08	294	5.32
13	1999-00	801	39.52	313	30.14	488	9.38
14	2000-01	1351	236.61	759	228.05	592	8.56
15	2001-02	16	0.29	5	0.15	11	0.14
16	2002-03	1382	183.65	838	173.02	544	10.63
17	2003-04	1771	220.94	1146	208.43	625	12.51
18	2004-05	1977	312.97	1252	299.19	725	13.77
19	2005-06	939	311.21	768	307.18	171	4.03
20	2006-07	316	370.65	277	365.54	39	5.11
21	2007-08	1562	636.22	968	619.26	594	16.96
22	2008-09	546	975.24	361	900.20	185	75.04
	कुल	13656	3458.64	7523	3281.13	6133	177.51